IF UNDELIVERED
PLEASE RETURN TO
मारवाड़ का मित्र
:: Regd. Office ::
वैष्णव फार्म परावा,
जिला - सांचौर (343041)

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

मारवाड़ का मित्र

RNI Reg No. RAJHIN/2003/10136 Post Reg No. RJ/SRO/9657/2023-25 www.marwadkamitra.in twitter.com/MARWADKAMITRA facebook.com/marwarkamitra/ youtube.com/c/mkmnewsnetwork

वर्ष 22 | अंक 15 | सांचौर, गुरुवार , 1, अगस्त 2024 | संस्थापक : स्व. श्री भगवानदास वैष्णव, | मूल्य वार्षिक 350 रुपये | कुल पृष्ठ - 4

उठी जांच की मांग

बाड़मेर । ग्राम सेवा सहकारी समितियों में व्यवस्थापक पद पर नियमानुसार नियमित व्यवस्थापकों को अतिरिक्त कार्यभार देने के संबंध में 18 जुलाई 2017 को तत्कालीन अतिरिक्त रजिस्ट्रार बैंकिंग राजीव लोचन आदेश जारी कर, पालना सुनिश्चित करने के निर्देश जारी करने के बावजुद जिले की भालीखाल, सारला, बाड़मेर आगोर, फोगेरा सहकारी समिति में अप्रशिक्षित व्यक्तियों को व्यवस्थापक पद का चार्ज दिया गया हैं ।

सदन से अफसर गायब

प्रश्न वापस लेने पर स्पीकर नाराज

जयपुर विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान विधायकों के प्रश्न वापस लेने और अधिकारियों की गैर मौजूदगी पर विधानसभा अध्यक्ष वासुदेव देवनानी ने मंगलवार को कड़ी नाराजगी जताई। उन्होंने भविष्य में विधायकों को प्रश्न स्थगित करने की अनुमति देने से इनकार कर दिया। वहीं, प्रश्नकाल के दौरान सदन से गायब रहने वाले अधिकारियों पर सख्त कार्रवाई की हिदायत दे दी। संसदीय कार्य मंत्री से ऐसे अधिकारियों की भी सूची भी मांगी।

25 लाख से ज्यादा बकाया वाले एनपीए खातों की जांच करें बैंक

मुंबई : आरबीआइ ने विलफुल डिफाल्टर्स और बड़े डिफाल्टर्स से निपटने के लिए कुछ प्रमुख दिशानिर्देश जारी किए। इसके तहत बैंकों और एनबीएफसी को 25 लाख रुपये और उससे अधिक की बकाया राशि वाले सभी एनपीए अकाउंट में विलफुल डिफाल्ट की वजहों की जांच करनी होगी। आरबीआइ निर्देश के अनुसार, जिन साक्ष्यों के आधार विलफुल डिफाल्ट की पहचान की गई, उनकी जांच एक समिति द्वारा की जाएगी। विलफुल डिफाल्टर का मतलब एक ऐसे कर्जदार है, जिसने जानबूझकर ऋण नहीं चुकाया है और उस पर बकाया राशि 25 लाख रुपये और उससे अधिक है।

जांच के बाद ही कुर्क किए जाएं बैंक खाते

नई दिल्ली, केंद्रीय अप्रत्यक्ष कर एवं सीमा शुल्क बोर्ड ने कहा है कि सी कि सीमा शुल्क उल्लंघन के मामलों में बैंक खातों को कुर्क करने की शक्ति का प्रयोग तथ्यों की सावधानीपूर्वक जांच-परख करने के बाद किया जाना चाहिए। क्षेत्रीय इकाइयों को दिए गए निर्देश में सीबीआइसी ने कहा कि जिन मामलों में बैंक खाते कुर्क किए गए हैं, उनमें जांच और निर्णय जल्द से जल्द पूरा किया जाना चाहिए। सीमा शुल्क अधिनियम के तहत, प्रधान आयुक्त या सीमा शुल्क आयुक्त उन मामलों में छह महीने तक के लिए बैंक खातों को कुर्क करने के बारे में लिखित रूप से आदेश दे सकते हैं,

मारवाड़ का मित्र
हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

यदि आपको अपने क्षेत्र से लगाव है तो कृपया मारवाड़ का मित्र हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र के लिए मारवाड़ आंचल के विभिन्न धार्मिक, ऐतिहासिक कला,संस्कृति आदि अन्य सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं । सामाजिक,शैक्षणिक, व्यवसायिक स्थलों पर लेख,कथा, कहानी विवरण आदि हमें अवश्य प्रकाशनार्थ भिजवाने । प्रकाशन सामग्री के साथ संबंधित स्थल का फोटो भी एवं आपका फोटो भी अवश्य भिजवाएं ।

-संपादक

लहलाहती फसलों के लिए कृषि क्षेत्र को खाद-पानी

अरविंद शर्मा,
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली। आम बजट में अन्नदाता को सबसे ऊपर रखा गया है। कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय की सभी पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए खेती कारोबार में व्यापक परिवर्तन के साथ किसानों के लिए कुछ नई सौगातों की भी घोषणा की गई है। खाद्य सुरक्षा के साथ-साथ किसान कल्याण का ध्यान रखते हुए सर्वाधिक फोकस खाद्यान्न उत्पादन बढ़ाने और जलवायु के अनुरूप खेती के विकास पर किया गया है। कृषि क्षेत्र में अनुसंधान व्यवस्था की वृहद समीक्षा के साथ नए निवेश की बात कही गई है। इसके लिए सरकारी क्षेत्र के साथ निजी निवेशकों को भी आमंत्रित किया जाएगा। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने अन्नदाता को प्रधानमंत्री की चार प्रमुख जातियों में से एक बताया गया और कहा कि देश के आर्थिक विकास के लिए इनपर विशेष ध्यान देने की जरूरत है। उन्होंने यह भी याद दिलाया कि सरकार ने लगभग सभी प्रमुख फसलों के लिए एक महीने पहले ही न्यूनतम समर्थन मूल्य (एमएसपी) की घोषणा की है, जो खेती की लागत से 50 प्रतिशत अधिक है। बजट में कृषि पर आधारित सारांश किसानों को खेती के वर्तमान तरीके से निकालकर प्राकृतिक खेती की ओर ले जाने का प्रयास है। परंपरागत खाद्यान्न फसलें धान और गेहूं के अतिरिक्त कृषि के सभी क्षेत्रों में देश को आत्मनिर्भर बनाकर अर्थव्यवस्था को गति देना समय की मांग है। इसलिए नरेन्द्र मोदी सरकार के तीसरे कार्यकाल के पहले बजट में कृषि एवं संबद्ध क्षेत्र के लिए एक लाख 52 हजार करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं, जो फरवरी में अंतरिम बजट के आवंटन से लगभग 25 हजार करोड़ रुपये ज्यादा है। किसानों की आय एवं फसलों की उत्पादकता बढ़ाने के प्रयासों के तहत बागवानी समेत 32 फसलों की 109 सर्वाधिक पैदावार वाली किस्में जारी की जाएंगी, जो नई के साथ -साथ जलवायु के अनुकूल भी होंगी। अगले दो वर्षों के दौरान एक करोड़ किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इसके लिए सहायता राशि एवं प्रमाण पत्र देने के साथ-साथ उनके उत्पादों की ब्रांडिंग भी की जाएगी। इसका प्रबंधन कृषि वैज्ञानिक संस्थाओं एवं पंचायतों की देखरेख में किया जाएगा। देश भर में दस हजार बायो इनपुट सेंटर बनाए जाएंगे, जहां से प्राकृतिक खेती की गतिविधियां संचालित होंगी। बजट में दलहन एवं तेलहन की पैदावार बढ़ाकर किसानों के लिए अतिरिक्त आय के प्रबंधन के प्रयासों पर फोकस किया गया है। एक दिन पहले आर्थिक सर्वेक्षण की रिपोर्ट में केंद्र सरकार ने ईमानदारी से स्वीकार किया था कि तमाम प्रयासों के बावजूद किसानों की आय अपेक्षित रूप से नहीं बढ़ पाई है। इसलिए कृषि में व्यावसायिक फसलों के उत्पादन के लिए तकनीक एवं नवाचार को प्रोत्साहित करने के साथ भंडारण एवं विपणन व्यवस्था को भी मजबूत बनाया जाएगा। सरसों, मूंगफली, तिल, सोयाबीन एवं सूरजमुखी जैसी फसलों की उपज बढ़ाने के लिए भी एक कार्यनीति बनाई जा रही है। अंतरिम बजट में आत्मनिर्भर तिलहन अभियान शुरू करने की बात कही गई थी, जिसे आगे बढ़ाया जाएगा। चार सौ जिलों में फसलों का डिजिटल सर्वेक्षण कृषि में सूचना विषमता को दूर करने एवं किसानों की समस्याओं के समाधान के लिए डिजिटल सार्वजनिक बुनियादी ढांचे के विकास का वादा किया गया है। प्रौद्योगिकी के माध्यम से कृषि क्षेत्र को मजबूत करने के लिए राज्यों के सहयोग से डीपीआई को लागू किया जाएगा। इसके तहत तीन वर्षों में किसानों और उनकी जमीन का विवरण जुटाना है। डीपीआई के जरिए इस वर्ष खरीफ फसलों का चार सौ जिलों में डिजिटल सर्वेक्षण किया जाएगा। इसके तहत लगभग छह करोड़ किसानों और उनकी जमीन के विवरण को एकत्र किया जाएगा।

50% 50 अधिक है समर्थन मूल्य खेती की लागत से, जो सरकार ने एक महीने पहले ही घोषित किया है

- कृषि की पुरानी योजनाओं को बरकरार रखते हुए कुछ नई सौगातों की भी घोषणा

5 राज्यों में जन समर्थित किसान क्रेडिट कार्ड

10 हजार वायो इनपुट संसाधन केंद्र स्थापित किए जाएंगे

25 हजार करोड को कृषि को पिछले साल के मुकाबले

1 करोड किसानों को प्राकृतिक खेती के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा

एफआईजी कार्य में एसएसओ लॉगिन की सुविधा बंद

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान राज्य सहकारी बैंक ने ग्राम सेवा सहकारी समितियों में फसली ऋण वितरण में उपयुक्त होने वाले पोर्टल एफआईजी के कार्य में एसएसओ लॉगिन की सुविधा बंद कर दी हैं, हालांकि एफआईजी पर सीधे लॉगिन की सुविधा यथावत है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणन सुविधा भी हैं, इस संबंध में अपेक्स बैंक प्रबंध निदेशक धनसिंह देवल ने समस्त सीसीबी प्रबंध निदेशक को आदेश जारी कर, बताया कि यूआईडीएआई की ऑडिट टीम द्वारा उठाए गए ऑडिट आपत्तियों की अनुपालना में ऑडिटर द्वारा यह निर्देश दिया गया है कि राजएसएसओ आधार सेवाओं का उपयोग अपने स्वंय के उपयोग के लिए किया जा सकता हैं, न कि किसी तीसरे पक्ष के ऐप या विभाग के लिए, इसलिए ऐसी सभी सेवाएँ तत्काल प्रभाव से समाप्त हो गई हैं, जिससे एसएसओ लॉगिन में बायोमेट्रिक व ओटीपी की सुविधा बंद हो गई है,
साथ ही, केन्द्रीय सहकारी बैंकों द्वारा इस संबंध में उठाई गई आपत्तियों के चलते एफआईजी कार्य में एसएसओ लॉगिन की सुविधा बंद करवा दी गई है, हालांकी एफआईजी पर सीधे लॉगिन की सुविधा यथावत है, जिसमें बायोमेट्रिक प्रमाणन सुविधा भी है।

विशिष्ट पैक्स के लिए एसएसओ लॉगिन की अनुशंषा

जारी आदेशानुसार, यदि किसी बैंक को किसी विशिष्ट पैक्स के लिए बायोमेट्रिक प्रमाणन से कोई समस्या हो तो उसका जोखिम विश्लेषण किया जाकर संबंधित पैक्स के लिए बिना बायोमेट्रिक ओटीपी के एसएसओ आईडी के माध्यम से लॉगिन करवाने, की अनुशंषा सीसीबी प्रबंध निदेशक स्तर से प्रेषित की जा सकती है।

120.08 करोड़ रूपए के बीमा क्लेम का भुगतान

बाड़मेर,। जिले में फसल बीमा करने के लिए एग्रीकल्चर इंश्योरेंस कंपनी ऑफ इंडिया अधिकृत किया है। गत वर्ष 260374 कृषकों ने खरीफ फसलों का बीमा करवाया था। इसके तहत बाड़मेर जिले मे अधिसूचित फसल बीमा कंपनी एग्रीकल्चर इंश्योरेंश कंपनी ऑफ इण्डिया लि. ओर से अब तक 120.08 करोड़ रूपए का बीमा क्लेम कृषकों के खाते मे भुगतान कर दिया है।

गांवों के लिए बनेगी सहकारिता नीति

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

नई दिल्ली ; *सहकार से समृद्धि को आगे बढ़ाते हुए केंद्र सरकार सहकारी क्षेत्र को व्यवस्थित करने और ग्रामीण क्षेत्रों का चौतरफा विकास के लिए नई राष्ट्रीय सहकारिता नीति बनाने जा रही है। आम बजट में वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने बताया कि इसके सहारे ग्रामीण क्षेत्रों में बड़े पैमाने पर रोजगार का सृजन होगा। मसौदा तैयार किया जा रहा है। राज्यों, केंद्रीय मंत्रालयों एवं विभिन्न सहकारी समितियों के साथ अन्य हितधारकों से विमर्श के बाद जल्द ही नई नीति की घोषणा होगी। सरकार की योजना सभी जिलों में सहकारी बैंक और जिला दुग्ध उत्पादक संघ की स्थापना की है। अभी देश में दो लाख पंचायतों में एक भी सहकारी संस्था नहीं है। दो लाख नई प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) बनानी है।*
अभी इनकी संख्या लगभग एक लाख है। अगले पांच वर्ष में दो लाख पैक्स का निर्माण करना है। केंद्र में सहकारिता के लिए अलग मंत्रालय के गठन के बाद नई नीति का मसौदा तैयार करने को समिति का गठन दो सितंबर 2022 को अमित शाह के नेतृत्व में किया गया था।

प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना

राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की बैठक

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर,। प्रधानमंत्री फसल बीमा योजनान्तर्गत राज्य स्तरीय शिकायत निराकरण समिति की एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के

फसल कटाई प्रयोगो के प्रकरणों में विसंगतियों के निस्तारण हेतु गुरूवार को पंत कृषि भवन में प्रमुख शासन सचिव कृषि एवं उद्यानिकी श्री वैभव गालरिया की अध्यक्षता में बैठक का आयोजन किया गया। बैठक में श्री गालरिया ने बाड़मेर, बीकानेर, हनुमानगढ़, अजमेर, जोधपुर, नागौर और फलौदी जिलों के विभिन्न मौसम सत्रों के प्रकरणों के निस्तारण हेतु उक्त जिलों के अधिकारियो और बीमा कंपनी के अधिकारियों से चर्चा कर योजना प्रावधानों के अनुरूप कार्यवाही किए जाने के निर्देश दिए। उल्लेखनीय है कि खरीफ 2023 का 899 करोड़ रूपये का क्लेम कृषकों को वितरित किये जा चुके है। शेष मुआवजे की राशि में आ रही दिक्कतों को दूर कर जल्द से जल्द किसानों को दे दी जायेगी। रबी 2023-24 के लिए कम्पनियों को दी जाने वाली सब्सिडी में से लगभग 461 करोड़ रूपये स्वीकृति जारी हो चुकी है। शेष फसल कटाई प्रयोगों में आ रही आपत्तियों का भी जल्द निस्तारण किया जा रहा है। बैठक में आयुक्त उद्यानिकी श्री जयसिंह, विभागीय अधिकारी और एग्रीकल्चर इन्श्योरेन्स कम्पनी लिमिटेड के प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

सहकारिता मंत्री का आभार

सहकारी बैंकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू करना स्वागत योग्य - आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । राजस्थान विधानसभा में सहकारिता अनुदान मांगों पर चर्चा के दौरान सहकारिता राज्य मंत्री गौतम कुमार दक ने अपेक्स बैंक एवं सहकारी बैंकों की लंबित भर्ती प्रक्रिया सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से जल्द शुरु करवाने की घोषणा की हैं, जिसका स्वागत करते हुए सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने सहकारिता मंत्री का आभार व्यक्त कर, शीघ्र पारदर्शी व प्रामाणिक भर्ती किये जाने की मांग दोहराई है, साथ ही, सहकारिता मंत्री द्वारा अपेक्स बैंक एवं सहकारी बैंकों में भर्ती प्रक्रिया शुरु करने की घोषणा के पश्चात रजिस्ट्रार सहकारी समितियां द्वारा सहकारी बैंकों में भर्ती की आयु सीमा बढ़ाकर 40 वर्ष करने एवं प्रतीक्षा सूची में आरक्षण प्रावधान संबंधी सुधार से भर्ती प्रक्रिया शुरू करने पर सहकार नेता ने खुशी जाहिर की है, गौरतलब हैं कि 2019 के बाद अपेक्स व केंद्रीय सहकारी बैंकों में कर्मचारियों व अधिकारियों की कोई भर्ती नहीं होने व लगातार सेवानिवृत्ति से कार्मिको की भारी कमी हुई हैं, वही, ऑल राजस्थान को ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज यूनियन व ऑफिसर्स एसोसिएशन द्वारा सहकारी बैंकों में भर्ती की लम्बे समय से मांग की जा रही हैं, इसको लेकर हाल ही में संगठन द्वारा सहकारिता मंत्री को ज्ञापन भी दिया था।

भूमि विकास बैंकों में भर्ती की मांग

सहकार नेता सूरजभानसिंह आमेरा ने सहकारिता मंत्री से राज्य सहकारी भूमि विकास बैंक व प्राथमिक सहकारी भूमि विकास बैंकों में भी पिछले 15 वर्षों से लंबित भर्ती प्रक्रिया शुरू किए जाने की मांग उठाई हैं, ताकि राज्य सरकार बजट घोषणा के अनुरुप पीएलडीबी के माध्यम 100 करोड़ के ऋण वितरण को लागू करने, अवधिपार ऋण की वसूली करने एवं पीएलडीबी के अन्य व्यवसाय-कारोबार को मुख्य धारा में लाकर बैंकों को पुनर्जीवित कर सक्षम बनाया जा सकें ।

विधानसभा में विभाग ने दिया जवाब

व्यवस्थापक को वेतन देने का उत्तरदायित्व सहकारी समिति का

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिको को वेतन नहीं मिलने, सहकारी समितियों में व्यवस्थापकों के रिक्त पदों को भरने सहित ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत कार्मिकों को राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना एवं अन्य सुविधाएं दिए जाने को लेकर विधायक भागचन्द टांकड़ा ने विधानसभा सचिव को राजस्थान विधानसभा के कार्य तथा प्रक्रिया, संचालन संबंधी नियम 131 के तहत ध्यान आकर्षण प्रस्ताव भेजा, जिसके प्रतिउत्तर में विभाग ने कहा कि, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापक सहकारिता विभाग के कार्मिक नहीं हैं, वरन सहकारी समितियां ही उनकी नियोक्ता हैं, जिसके कारण व्यवस्थापक को वेतन देने का उत्तरदायित्व सहकारी समितियों का ही हैं । साथ ही, विभाग ने बताया कि प्रदेश में ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत 5294 व्यवस्थापकों में से 3939 व्यवस्थापकों को नियमित वेतन भुगतान किया जा रहा हैं, वही, 1355 सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिती कमजोर होने के कारण व्यवस्थापकों को वेतन भुगतान नहीं किया जा रहा हैं, जिससे संबंधित समिति में आय होने पर समिति द्वारा वेतन भुगतान किया जाना अपेक्षित होगा ।

5294 व्यवस्थापक कार्यरत प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में

3939 व्यवस्थापकों को किया जा रहा नियमित वेतन भुगतान

1355 सहकारी समितियों की वित्तीय स्थिती कमजोर होने के कारण वेतन भुगतान नहीं

आरजीएचएस की सुविधा के लिए करना होगा आवेदन

आवेदन

सहकारिता विभाग की ओर से विधायक को लिखित दिए गए प्रतिउत्तर के मुताबिक, राजस्थान सरकार स्वास्थ्य योजना में पात्रता रखने वाली ग्राम सेवा सहकारी समितियों के संचालक मण्डल द्वारा आरजीएचएस की सुविधा कार्मिकों को उपलब्ध कराने के लिए आवेदन किया जा सकता हैं, वही, व्यवस्थापकों के रिक्त पदों पर राजस्थान सहकारी भर्ती बोर्ड के माध्यम से आवश्यकतानुसार भर्ती करवाई जा सकती हैं, इसके अलावा, ग्राम सेवा सहकारी समितियों में रिक्त पदों का कार्य, अतिरिक्त कार्यभार अन्य नियमित व्यवस्थापकों को आंवटित कर एवं समिति स्तर से नियुक्त व्यवस्थापकों द्वारा किया जा रहा है।

खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र

3 सहकारी समितियों में भवन एवं गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण

जयपुर,। सहकारिता राज्य मंत्री श्री गौतम कुमार ने विधानसभा में बताया कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 3 समितियों में भवन व गोदाम निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है। खेतड़ी में वर्तमान में 17 ग्राम सेवा सहकारी समितियों में भवन व गोदाम विद्यमान है। सहकारिता राज्य मंत्री प्रश्नकाल के दौरान सदस्य द्वारा इस सम्बन्ध में पूछे गए पूरक प्रश्नों का जवाब दे रहे थे। इससे पहले विधायक श्री धर्मपाल के मूल प्रश्न के लिखित जवाब में सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि खेतड़ी विधानसभा क्षेत्र में विगत पांच वर्षों में 9 सहकारी समितियों के गठन की स्वीकृति प्रदान की गई है। विगत पांच वर्षों में 3 समितियों सेफरागुवार, चारावास और मान्दरी में भवन व गोदाम निर्माण की स्वीकृति प्रदान की गई थी, जिनमें निर्माण कार्य पूर्ण किया जा चुका है।

1 लाख से ज्यादा किसानों ने नहीं चुकाया

250 करोड़ का फसली सहकारी ऋण, अब लगेगा ब्याज

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में किसानों को रबी एवं खरीफ सीजन में खेती-किसानी के लिए केंद्रीय सहकारी बैंकों के माध्यम से ब्याज मुक्त योजना के तहत फसली सहकारी ऋण ग्राम सेवा सहकारी समितियां द्वारा उपलब्ध कराया जाता हैं, गत साल प्रदेश की 29 केंद्रीय सहकारी बैंकों द्वारा रबी एवं खरीफ सीजन के दौरान लगभग 28 लाख से ज्यादा किसानों को 23 हजार करोड़ का फसली सहकारी ऋण मुहैया कराया गया था, वही, रबी सीजन में वितरित ऋणों का चुकारा करने की अंतिम तिथि राज्य सरकार की ओर से 30 जून निर्धारित की गई थी, इस अवधि के दौरान प्रदेश के 1 लाख से ज्यादा किसानों ने 250 करोड़ रुपए के ऋण चुकारा नहीं किया, अब इन किसानों को 7 प्रतिशत की दर से ब्याज देना होगा।
इसके अलावा सहकारी बैंकों ने इन किसानों पर एक जुलाई से दो फीसदी की दर से अतिरिक्त ब्याज की पेनल्टी भी लगाई है। जितने दिन बाद किसान ऋण चुकाएंगे, उतने ही दिन के अंतराल से किसान पर दो फीसदी अतिरिक्त ब्याज बैंक लगाएगा। यानी कुल 9 फीसदी ब्याज किसान को अब चुकाना होगा। दरअसल ज्यादातर किसानों ने कर्ज माफी की उम्मीद में ये राशि नहीं चुकाई। क्योंकि 2018 व 2019 में विधानसभा व लोकसभा चुनाव के साल में पूर्व सरकारों ने किसानों को लुभाने के लिए कर्ज माफी करवाई थी, ऐसे में इस बार भी किसानों को उम्मीद थी कि चुनावों के चलते कर्ज माफी होगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ ।

पहले सरकार स्वच्छ पेयजल उपलब्ध कराने की करे चिंता

'उबलते वक्त पानी सोचता होगा जरूर... अगर बर्तन न होता तो बताता आग को'। प्रदेश की जनता भी शायद यही सोचने को मजबूर है। ऐसा इसलिए क्योंकि राज्य सरकार ने प्रदेश में पेयजल दरें बढ़ाने की नई गली निकाल ली है। बजट में शहरी पेयजल परियोजनाओं को चालीस साल पहले बने राजस्थान वाटर सप्लाई एंड सीवरेज कॉरपोरेशन को देने की घोषणा की गई है। इसके तहत कॉरपोरेशन अपने नफा-नुकसान के हिसाब से पेयजल दर बढ़ा सकेगा। इस घोषणा के बाद अब एक तरफ पेयजल उपभोक्ता पानी महंगा होने और जलदायकर्मी उनकी सेवा शर्तें बदले जाने को लेकर आशंकित हैं। इसीलिए जलदाय विभाग के कर्मचारियों के विरोध का भी सरकार को सामना करना पड़ रहा है। यह भी उल्लेखनीय है कि तत्कालीन सरकार ने 11 अप्रेल, 2018 को प्रदेश में पेयजल दरों में 10 प्रतिशत बढ़ोतरी का आदेश जारी किया था, लेकिन व्यापक विरोध के बाद यह आदेश वापस लेना पड़ा था। सरकार ने जल जीवन मिशन के तहत 50 हजार करोड़ रुपए की पेयजल परियोजनाएं स्वीकृत की हैं। इन परियोजनाओं के लिए अलग-अलग बैंकों से कॉरपोरेशन जलदाय विभाग की संपत्तियों के आधार पर कर्ज लेगा। पहले ही जल जीवन मिशन के लिए 8,600 करोड़ रुपए का कर्ज लिया जा चुका है। साफ है कि जल जीवन मिशन के लिए जो भी कर्ज लिया गया उसका भार भी उपभोक्ताओं पर ही आएगा। राज्य में एक करोड़ से ज्यादा पंजीकृत पेयजल उपभोक्ता हैं। जल कनेक्शन के जहां 50 प्रतिशत मीटर खराब हैं, वहीं पूरे प्रदेश में मीटर रीडरों की भी कमी है। जहां तक पानी की दर का गणित है, वर्तमान में एक हजार लीटर पानी की कीमत 4 रुपए 40 पैसे है, वहीं यह कीमत बढ़ाकर 17 गुना यानी 75 रुपए प्रति हजार लीटर तक की जा सकती है। इसके बावजूद ज्यादा राजस्व मिलने की उमीद नहीं लगती, क्योंकि 50 प्रतिशत मीटर खराब हैं। यह बात दूसरी है कि जलदाय विभाग के अधिकारी तर्क देते रहे हैं कि जयपुर शहर और प्रदेश में पेयजल से जितना राजस्व मिल रहा है, उससे परियोजनाओं की लागत तक नहीं निकल पा रही है। ऐसे में सरकार को कोई न्यायसंगत रास्ता निकालना ही होगा, जिसमें कि आम आदमी को पर्याप्त और गुणवत्तापूर्ण पेयजल की आपूर्ति भी होती रहे और उस पर अत्यधिक वित्तीय भार भी नहीं आए।

उपभोक्ता पानी महंगा होने और जलदायकर्मी उनकी सेवा शर्तें बदले जाने को लेकर आशंकित हैं

उर्वरकों के अंधाधुंध उपयोग से बंजर होती जमीनें

-सुनील कुमार महला
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

आज किसान भरपूर मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग तो धड़ल्ले से खेती में कर रहे हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर इस बात के प्रति अनजान हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा आसपास के जल निकायों में मछलियों को मार सकती है।

भारत एक कृषि प्रधान देश है,लेकिन आज भारतीय कृषि लगातार एक छिपे हुए खतरे की ओर बढ़ रही है। आज खेती में अनेक प्रकार के रासायनिक उर्वरकों,कीटनाशकों का प्रयोग लगातार बढ़ता ही चला जा रहा है और इससे एक ओर जहां हमारे देश की जमीनें लगातार बंजर हो रहीं हैं, वहीं दूसरी ओर बढ़ते रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के प्रयोग से अनेक प्रकार की खतरनाक व गंभीर बीमारियां फैल रहीं हैं। कुछ साल पहले आई एक रिपोर्ट के मुताबिक देश की 30 फीसद जमीन बंजर होने के कगार पर है। इसका कारण यूरिया का अंधाधुंध इस्तेमाल है, जिसे हरित क्रांति के दौर में उत्पादन बढ़ाने का अचूक मंत्र मान लिया गया था। यूरिया के अधिक उपयोग से नाइट्रोजन चक्र प्रभावित हो रहा है। रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के लगातार उपयोग से कृषि मित्र जीव-जंतुओं का विनाश हो रहा है। आज मिट्टी से लगातार आर्गेनिक तत्वों की कमी देखी जा रही है, यह भारतीय कृषि जगत के लिए एक बड़ी चिंता का विषय है। यह बहुत ही गंभीर है कि आज अनाज-सब्जियों के माध्यम से उर्वरकों और कीटनाशकों जहर हमारे शरीर में भी पहुंच रहा है और हम तरह-तरह की बीमारियों का शिकार बन रहे हैं। किसानों को इस बात के प्रति जागरूक होना चाहिए कि खेती में लगातार रासायनिक खाद के प्रयोग से मिट्टी में कार्बनिक पदार्थ की मात्रा लगातार कम होती चली जा रही है और इससे अब हमारे देश में कई स्थानों पर बिना रासायनिक उर्वरक के खेती करना ही संभव नहीं हो पा रहा है । हमने धरती को जहरीली बना दिया है। इससे किसानों को तो नुकसान हो ही रहा है, साथ ही साथ उपभोक्ताओं की सेहत पर भी इसका बहुत ही गहरा व व्यापक असर पड़ रहा है। यदि हमारे देश के किसान इसी तरह केमिकल फर्टिलाइजरों का उपयोग करते रहेए तो वो दिन दूर नहीं जब खेती के लिए मिट्टी ही नहीं बचेगी। आज किसानों का ध्यान पशुपालन पर कम है, क्यों कि महंगाई, स्थान की कमी, हरे चारे की समस्या के कारण किसान खेती के साथ पशुपालन नहीं करना चाहता। पहले कृषि के साथ पशुपालन भी किया जाता था, आजकल वह कम है। यही कारण है कि आज किसानों के पास खेतों के लिए गोबर की खाद, वर्मी व सुपर कंपोस्ट, हरी खाद की उपलब्धता सुनिश्चित नहीं है। यही कारण है कि मृदा में पोषक तत्वों की कमी है और जमीन की वाटर होल्डिंग कैपेसिटी लगातार कम होती चली जा रही है, इससे जमीनें कठोर हो रहीं हैं। यह बात ठीक है कि आज के समय में वाणिज्यिक फसलों के लागत-प्रभावी उत्पादन के लिए रासायनिक उर्वरक बहुत ही महत्वपूर्ण हैं, लेकिन उनका अंधाधुंध उपयोग हमारी जमीनों के लिए काल बनकर सामने आ रहा है। आज किसान भरपूर मात्रा में उर्वरकों का प्रयोग तो धड़ल्ले से खेती में कर रहे हैं लेकिन उनमें से ज्यादातर इस बात के प्रति अनजान हैं कि मिट्टी में नाइट्रोजन की अत्यधिक मात्रा आसपास के जल निकायों में मछलियों को मार सकती है। किसानों को यह ध्यान रखना चाहिए कि केवल और केवल उत्पादन बढ़ाने पर ही ध्यान केंद्रित नहीं किया जाना चाहिए,उन्हें इस बात की भी जानकारी होनी चाहिए कि रासायनिक उर्वरक अकार्बनिक पदार्थों से आते हैं,जो रासायनिक उपचार से गुजरते हैं। यह ठीक है कि रासायनिक उर्वरक किसानों को अल्पावधि में अधिक और उच्च गुणवत्ता वाली फसलें पैदा करने की अनुमति देते हैं, लेकिन दीर्घावधि में कम या खराब गुणवत्ता वाली फसलें पैदा कर सकते हैं। वास्तव में ऐसा मिट्टी के स्वास्थ्य की जटिलताओं के कारण होता है। रासायनिक उर्वरकों की एक समस्या यह है कि वे मिट्टी से होते हुए भूजल और अन्य जल स्रोतों में चले जाते हैं, जिससे धरती पर प्रदूषण फैलता है। गोमूत्र व गोबर की खाद में नाइट्रोजन, गंधक, अमोनिया, कापर, यूरिया, यूरिक एसिड एफास्फेट एसोडियम, पोटेशियम, मैंगनीज, कार्बनिक एसिड जैसे तत्व पाए जाते हैं। ये फसलों को लाभ पहुंचाने के साथ ही मिट्टी की उर्वरक शक्ति को भी बढ़ाने में कारगर होते हैं। ये मिट्टी को कठोर भी नहीं होने देते हैं और मिट्टी में पर्याप्त नमी बनाए रखते हैं। हाल ही में राजस्थान के हाड़ौती क्षेत्र की मिट्टी में आर्गेनिक कार्बन का स्तर कम पाया गया है,जो चिंता का विषय है।

राजस्थान के हनुमानगढ़,गंगानगर ही नहीं शेखावाटी क्षेत्र चूरू, झुंझुनूं,सीकर में भी रासायनिक उर्वरकों,कीटनाशकों का प्रयोग पहले की तुलना में बहुत बढ़ गया है। हमारे किसान भाईयों को यह सोचने समझने की जरूरत है कि रासायनिक उर्वरकों,कीटनाशकों के बहुत से छिपे हुए खतरे हैं। इन सबसे हमें अपनी कृषि को तो बचाना ही होगा, मानव समेत धरती के अन्य जीव जंतुओं व प्राणियों की भी रक्षा करनी होगी। हमें इनसे बचना होगा और धरती के पर्यावरण, पारिस्थितिकी तंत्र की रक्षा करनी होगी। कहना गलत नहीं होगा कि हमें धरती को बीमार बनाने का हक नहीं है। आज जरूरत इस बात की है कि हमारे किसान भाई पर्यावरण अनुकूल खेती पर जोर देते हुए रासायनिक उर्वरकों, कीटनाशकों के उपयोग को धीरे-धीरे कम करें,परंपरागत आर्गेनिक खेती अपनाएं।

आगमन से पहले नहीं होती तैयारी, बरसते पानी को एकत्र करने की भी नहीं होती व्यवस्था

आफत नहीं, जीवन है मानसून

मानसून के आगमन के साथ ही देश के वे हिस्से, जो कुछ दिन पहले पानी के लिए व्याकुल थे, पानी-पानी हो गए। जैसे ही प्रकृति ने अपना आशीष बरसाया और ताल-तलैया, नदी-नाले उफन कर धरा को अमृतमय करने लगे, समाज का एक वर्ग इसे जय प्रलय, हाहाकार जैसे शब्दों से निरूपित करने लगा। असल में जब धरती तप रही थी, तब समाज को अपने आसपास के कुएं, बावड़ी, तालाब, जोहड़ और नदी से गंदगी को साफ करना था, उनमें जम गई गाद को खेतों तक ले जाना था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। इसलिए जो पानी पूरे साल के लिए धरती को जीवन देता, वह लोगों को समस्या लगने लगा। यह बात समझनी होगी कि नदी, नहर, तालाब और झील आदि पानी के स्रोत नहीं हैं। हकीकत में पानी का स्रोत मानूसन है या फिर ग्लेशियर। तालाब और नदी आदि तो उसे सहेजने के स्थान मात्र हैं। हम मानसून की नियामत को सहेजने के इन स्थानों को गर्मी में तैयार नहीं करते, इसलिए भी जलभराव होता है। आज गंगा-यमुना के उद्गम स्थल से लेकर छोटी नदियों के किनारे बसे गांव-कस्बे तक बस यही हल्ला है कि बरसात ने खेत-गांव सब कुछ उजाड़ दिया, लेकिन मानसून के विदा होने के बाद इन सभी इलाकों में पानी की एक-एक बूंद के लिए मारा-मारी देखने को मिलेगी। मानसून के जल का विस्तार हमारी जमीन पर नहीं हुआ है, बल्कि हमने ही जल विस्तार की नैसर्गिक जमीन पर अपना कब्जा जमा लिया है। अरबी शब्द 'मौसिम' का अर्थ होता है मौसम और इसी से बना है मानसून। भारत में केवल तीन ही किस्म की जलवायु हैं- मानसून, मानसून-पूर्व और मानसून-पश्चात। तभी भारत की जलवायु को मानसूनी जलवायु कहा जाता है। खेती-हरियाली और साल भर के जल का जुगाड़ इसी बरसात पर निर्भर है। इसके बावजूद हम न तो मानसून के आगमन की सही तरीके से तैयारी कर पाते हैं और न ही बरसते जल को सम्मान से एकत्र कर पाते हैं। भारतीय मानसून का संबंध मुख्यतः गर्मी के दिनों में होने वाले वायुमंडलीय परिसंचरण में परिवर्तन से है। गर्मी की शुरुआत होने से सूर्य उत्तरायण हो जाता है। इसके प्रभाव से पश्चिमी जेट स्ट्रीम हिमालय के उत्तर में प्रवाहित होने लगती है। इस तरह तापमान बढ़ने से निम्न वायुदाब निर्मित होता है। दक्षिण में हिंद महासागर में मेडागास्कर द्वीप के समीप उच्च वायुदाब का विकास होता है। इसी उच्च वायुदाब के केंद्र से दक्षिण पश्चिम मानसून की उत्पत्ति होती है। भारत में दक्षिण-पश्चिम मानसून की दो शाखाएं हो जाती हैं-बंगाल की खाड़ी और अरब सागर की शाखा। इस समय देशवासियों को जल देवता को शरण देने के लिए कुछ समय और श्रम देना चाहिए। भले ही हमने गर्मी में तैयारी नहीं की, लेकिन अभी भी देर हुई नहीं है। धरती पर इंसान का अस्तित्व बनाए रखने के लिए पानी जरूरी है तो पानी को बचाए रखने के लिए बारिश का संरक्षण ही एकमात्र उपाय है। यदि देश की महज पांच प्रतिशत जमीन पर पांच मीटर औसत गहराई में बारिश के पानी को जमा किया जाए तो 500 लाख हेक्टेयर पानी एकत्र किया जा सकता है। इस तरह प्रति व्यक्ति औसतन 100 लीटर पानी साल भर पूरे देश में दिया जा सकता है। हालांकि इस प्रकार से पानी जुटाने के लिए जरूरी है कि स्थानीय स्तर पर सदियों से समाज की सेवा करने वाली पारंपरिक जल प्रणालियों को खोजा जाए। उन्हें सहेजने और संचालित करने वाले समाज को सम्मान दिया जाए। समाज को एक बार फिर 'पानीदार' बनाया जाए। यह ध्यान रखना जरूरी है कि आंचलिक क्षेत्र की पारंपरिक प्रणालियों को आज के इंजीनियर शायद स्वीकार ही न पाएं। इसलिए जरूरी है कि इसके लिए समाज को ही आगे किया जाए। सनद रहे कि हमारे पूर्वजों ने देश-काल की परिस्थितियों के अनुसार बारिश को समेट कर रखने की कई प्रणालियां विकसित एवं संरक्षित की थीं, जिसमें तालाब सबसे लोकप्रिय थे। घरों की जरूरत यानी पेयजल एवं खाना बनाने के लिए मीठे पानी का साधन कुआं कभी घर-आंगन में हुआ करता था। धनवान लोग सार्वजनिक कुएं बनवाते थे। हरियाणा से मालवा तक जोहड़ जमीन की नमी बरकरार रखने की प्राकृतिक संरचना हैं। यह आमतौर पर वर्षा जल के बहाव क्षेत्र में पानी रोकने के प्राकृतिक या कृत्रिम बांध के साथ छोटे तालाब की मानिंद होता है। तेज ढलान पर तेज गति से पानी के बह जाने वाले भूस्थल में पानी की धारा को काटकर रोकने की पद्धति 'पाट' पहाड़ी क्षेत्रों में बहुत लोकप्रिय रही है। नहर या नाली के जरिये किसी पक्के बांध तक पानी ले जाने की प्रणाली 'नाड़ा या बंधा' अब देखने को नहीं मिल रही। कुंड और बावड़ियां महज जल संरक्षण के साधन नहीं, बल्कि हमारी स्थापत्य कला का बेहतरीन नमूना रही हैं। आज ऐसी ही पारंपरिक प्रणालियों को पुनर्जीवित करने के लिए उनके आसपास सफाई और उनमें भरने वाले पानी को बाहरी प्रदूषण से बचाने की जरूरत है और वह भी स्थानीय समाज द्वारा। यही नहीं, शहरी और कस्बाई इलाकों में बगीचे जैसी संरचनाओं में कुछ दिन बरसाती नाली में जा रहे पानी को समेटा जा सकता है। यह जल अधिक से अधिक एक हफ्ते में धरती द्वारा सोख लिया जाएगा। ऐसी नम भूमि पर आगे चलकर अच्छी घास भी उगेगी। इस प्रकार बरसात के पानी को संभाल कर रखने में स्थानीय लोगों की जिम्मेदारी, भूमिका एवं जागरूकता तो बढ़ेगी ही, इससे भूजल का रिचार्ज भी होगा, जो खेतों एवं कारखानों में पानी की आपूर्ति को सुनिश्चित करेगा। मानसून का जीवन के अनिवार्य तत्व की तरह आनंद लें। जहां स्थान मिले, बरसात के पानी को रोकें और उसे धरती में समाहित होने दें।

पंकज चतुर्वेदी।
(ये लेखक के अपने विचार हैं)

पीएम सूर्यघर योजना से लोगों को बिजली के बिलों में मिलेगी राहत

जालोर। केन्द्र सरकार द्वारा आमजन को बिजली के बिलों में राहत प्रदान करने के लिए पीएम सूर्यघर योजना प्रारभ की गई है। डिस्कॉम के अधीक्षण अभियंता महेश कुमार व्यास ने बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी द्वारा 75 हजार करोड़ से अधिक निवेश वाली परियोजना का लक्ष्य हर महीने 300 यूनिट तक निःशुल्क बिजली प्रदान करके एक करोड़ घरों को रोशन करना है। केन्द्र सरकार द्वारा प्रारभ की गई पीएम सूर्यघर योजना से जुड़कर बिजली के बिलों में काफी राहत प्राप्त की जा सकती है। इस योजना के तहत केन्द्र सरकार की तरफ से घर की छतों पर सोलर पैनल लगवाने के लिए सब्सिडी प्रदान की जाएगी। इस योजना के तहत मिलने वाली सब्सिडी राशि सीधे लाभार्थी के बैंक खाते में जमा की जाएगी। इस योजना के लाभ के लिए आधिकारिक वेबसाइट पर जाकर आवेदन किया जा सकता है। उन्होंने बताया कि विद्युत उपभोक्ता अपने मासिक औसत उपभोग के आधार पर इस योजना में ऑनलाईन आवेदन कर सकते है। योजना के अनुसार 1 से 2 किलोवाट की क्षमता के लिए 30 हजार से 60 हजार रूपये, 2 से 3 किलोवाट की क्षमता के लिए 60 हजार से 78 हजार एवं 3 किलोवाट से अधिक की क्षमता के लिए 78000 तक की सब्सिडी मिलेगी।

किसानों को सशक्त कर सकती है सहकारिता

8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों का आज भारत में मजबूत नेटवर्क है, जो कृषि, डेयरी, आवास और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है.

परंपरागत रूप से किसानों ने अनौपचारिक स्रोतों, जैसे साहूकारों पर अधिक भरोसा किया है, जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं. यह ऋण जाल कई किसानों को गरीबी में धकेल देता है

अपने बड़े नेटवर्क, सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने के साथ सहकारी समितियां कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं.

कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है, जो न केवल आधे से अधिक कार्यबल को रोजगार देती है, बल्कि सकल घरेलू उत्पाद (जीडीपी) में महत्वपूर्ण योगदान के साथ-साथ देश की खाद्य सुरक्षा भी सुनिश्चित करती है. फिर भी भारतीय कृषि को लगातार एक चुनौती का सामना करना पड़ रहा है- किसानों के लिए पर्याप्त और समय पर ऋण की कमी. क्रिसिल की 2021 की रिपोर्ट में कृषि में ऋण अंतर लगभग 6-7 लाख करोड़ रुपये होने का अनुमान लगाया गया था. यह ऋण अंतर कृषि विकास, आधुनिकीकरण और अंततः किसानों की आय में बाधा उत्पन्न करता है. परंपरागत रूप से किसानों ने अनौपचारिक स्रोतों, जैसे साहूकारों पर अधिक भरोसा किया है, जो अत्यधिक ब्याज दर वसूलते हैं. यह ऋण जाल कई किसानों को गरीबी में धकेल देता है, और यहां तक कि आत्महत्या करने के लिए भी विवश कर देता है. वाणिज्यिक बैंकों जैसे औपचारिक ऋण संस्थानों की ग्रामीण पहुंच अक्सर सीमित होती है और वे बड़ी ऋण राशि को प्राथमिकता देते हैं, जिससे छोटे और सीमांत किसान दूर हो जाते हैं. यहीं पर सहकारी समितियां आशा की किरण के रूप में उभरती हैं. अपने बड़े नेटवर्क, सदस्य-केंद्रित दृष्टिकोण और ग्रामीण विकास पर ध्यान देने के साथ सहकारी समितियां कृषि ऋण आवश्यकताओं को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा सकती हैं. आज भारत में 8.5 लाख से ज्यादा सहकारी समितियों का मजबूत नेटवर्क है, जो कृषि, डेयरी, आवास और बैंकिंग जैसे विभिन्न क्षेत्रों को कवर करता है. कई राज्यों ने कृषि ऋण में सहकारी समितियों की प्रभावशीलता को प्रदर्शित किया है. महाराष्ट्र अपने सफल सहकारी आंदोलन के लिए प्रसिद्ध है, खासकर चीनी और डेयरी क्षेत्र में. सहकारी चीनी मिलों और डेयरी समितियों ने न केवल किसानों को ऋण उपलब्ध कराया है, बल्कि मजबूत आपूर्ति शृंखला भी स्थापित की है और उपज के लिए उचित मूल्य भी सुनिश्चित किया है. गुजरात का अमूल सहकारी मॉडल इसका एक शानदार उदाहरण है. अमूल ने डेयरी किसानों को सशक्त बनाया है और गुजरात को एक अग्रणी डेयरी उत्पादक में बदल दिया है. 'भारत के अन्न भंडार' के रूप में जाने जाने वाले पंजाब की कृषि सफलता का श्रेय मुख्य रूप से सहकारी समितियों के मजबूत नेटवर्क को जाता है. भारत में तीन स्तरीय सहकारी ऋण संरचना है- प्राथमिक कृषि ऋण समितियां (पैक्स) गांव स्तर पर, जिला केंद्रीय सहकारी बैंक जिला स्तर पर और राज्य सहकारी बैंक (एससीबी) राज्य स्तर पर. सहकारी समितियां सदस्य-स्वामित्व वाली संस्थाएं हैं, जो किसानों के बीच स्वामित्व और समुदाय की भावना को बढ़ावा देती हैं. मानकीकृत ऋण उत्पादों वाले वाणिज्यिक बैंकों के विपरीत, सहकारी समितियां लचीले पुनर्भुगतान कार्यक्रम, छोटी ऋण राशि और निजी उधारदाताओं की तुलना में कम ब्याज दरों के साथ ऋण योजनाएं तैयार कर सकती हैं. छोटे और सीमांत किसान, किरायेदार किसान और महिला किसानों को अक्सर संपार्श्विक (कोलेटरल) सुरक्षा या अपर्याप्त दस्तावेजों जैसे कारकों के कारण औपचारिक ऋण प्राप्त करने में कठिनाई होती है. सहकारी समितियां, अपने सदस्य-संचालित दृष्टिकोण के साथ, इन वंचित समूहों को ऋण देने को प्राथमिकता दे सकती हैं. यह न केवल सामाजिक समानता को बढ़ावा देता है बल्कि समावेशी कृषि विकास को भी बढ़ावा देता है. सहकारी समितियां अल्पावधि ऋण, जिसमें मौसमी कृषि गतिविधियों जैसे बुवाई, सिंचाई और कटाई के लिए ऋण शामिल हैं, की तत्काल आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समय पर और पर्याप्त धनराशि प्रदान करती हैं, जिससे किसान बिना किसी वित्तीय तनाव के अपने फसल चक्र को बनाये रख पाते हैं. कृषि मशीनरी खरीदने, भूमि विकास और बुनियादी ढांचा परियोजनाओं जैसे पूंजी-गहन निवेशों के लिए सहकारी समितियां दीर्घकालीन ऋण प्रदान करती हैं. ये ऋण कृषि क्षेत्र में आधुनिकीकरण और उत्पादकता बढ़ाने में मदद करते हैं. सहकारी समितियां कृषि उत्पादकता और किसानों की आय में सुधार के लिए कई तरह की महत्वपूर्ण सेवाएं प्रदान करती हैं. इससे किसानों को बिचौलियों के शोषण से बचने में मदद मिलती है और बेहतर पैदावार के लिए आवश्यक इनपुट तक पहुंच सुनिश्चित होती है. फसल कटाई के बाद होने वाले नुकसान किसानों के लिए एक बड़ी चिंता का विषय हैं. एक अनुमान के अनुसार, भारत को वार्षिक फसल कटाई के बाद खाद्यान्न में 10 से 15 प्रतिशत के बीच नुकसान का सामना करना पड़ता है, जो ज्यादातर अपर्याप्त भंडारण सुविधाओं और अकुशल वितरण नेटवर्क के कारण होता है. इसका मतलब है कि हर साल लाखों टन कीमती भोजन बर्बाद हो जाता है. यह स्थिति तत्काल और अभिनव समाधान की मांग करती है. सहकारी समितियां किसानों को उपज के प्रभावी संग्रहण में मदद करने के लिए भंडारण सुविधाएं प्रदान कर सकती हैं, जिससे नुकसान कम से कम होगा और जब बाजार की स्थिति अनुकूल होगी, तो उन्हें अपनी फसल बेहतर कीमत पर बेचने की अनुमति मिलेगी. सहकारी समितियां किसानों को उपज के विपणन में सहायता कर सकती हैं, जिससे बिचौलियों की आवश्यकता समाप्त हो जाती है. अपनी क्षमता के बावजूद सहकारी समितियों को ऐसी चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, जो उनकी प्रभावशीलता में बाधा डालती हैं. नौकरशाही की अक्षमता, उच्च ऋण चूक दरों के कारण कमजोर वित्तीय स्वास्थ्य और पुरानी परिचालन प्रथाएं कुछ ऐसी बाधाएं हैं, जिनका तत्काल समाधान किया जाना चाहिए. ऋण अंतर को प्रभावी ढंग से पाटने तथा किसानों की वित्तीय भलाई सुनिश्चित करने के लिए बहुआयामी दृष्टिकोण की आवश्यकता है, जिसमें पैक्स यानी गांव स्तर की संस्थाओं को मजबूत करना बहुत जरूरी है. संचालन को सुव्यवस्थित करना, ऋण वसूली तंत्र में सुधार करना और बेहतर ऋण प्रबंधन के लिए प्रौद्योगिकी को अपनाना आवश्यक है. सदस्यों और कर्मचारियों के लिए प्रशिक्षण कार्यक्रम उनकी परिचालन दक्षता और प्रभावशीलता को बढ़ा सकते हैं. राष्ट्रीय सहकारी विकास निगम जैसी सरकारी पहल सहकारी समितियों को अधिक वित्तीय सहायता प्रदान कर सकती है, जिससे वे अधिक आकर्षक ऋण उत्पाद प्रदान करने और बुनियादी ढांचे में सुधार करने में सक्षम हो सकेंगी. प्रौद्योगिकी से समितियों के कामकाज में क्रांतिकारी बदलाव आ सकता है.

केसी त्यागी, बिशन नेहवाल
(ये लेखकद्वय के निजी विचार

सहकारिता मंत्री ने विधानसभा में कहा

सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में हुई अनियमितता की कमेटी बनाकर होगी जांच

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । सहकारिता राज्य मंत्री श्री गोतम कुमार ने राज्य विधान सभा में कहा कि दी जोधपुर सेन्ट्रल कॉ-ऑपरेटिव बैंक द्वारा यदि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना में कोई अनियमितता की गई है तो उसकी कमेटी बनाकर जांच करवाई जाएगी तथा दोषियों के विरूद्ध कार्रवाई की जाएगी। सहकारिता राज्य मंत्री फलौदी विधायक श्री पब्बाराम विश्नोई द्वारा इस सम्बन्ध में ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के माध्यम से उठाये गए मामले का जवाब दे रहे थे। उन्होंने बताया कि सहकार जीवन सुरक्षा बीमा योजना के अंतर्गत यदि कोई कृषक 75 हजार रुपये से अधिक राशि का ऋण लेता है तो उसे बीमा कम्पनी को अच्छे स्वास्थ्य का स्वघोषणा पत्र देना होता है। बैंक द्वारा लगभग 1.19 लाख किसानों को ऋण दिया गया था, जिसमें से 2705 कृषकों द्वारा अच्छे स्वास्थ्य का प्रमाण पत्र न प्रस्तुत करने के कारण बीमा कम्पनी द्वारा प्रीमियम लौटाई गई थी। बैंक द्वारा अपने पास कोई प्रीमियम नहीं रखा गया है। श्री गोतम कुमार ने बताया कि सहकारी समितियों से अल्पकालीन फसली ऋण प्राप्त करने वाले 18 से 79 वर्ग की आयु वर्ग के किसानों के लिए सहकार जीवन सुरक्षा बीमा अनिवार्य है। इस बीमा के लिए ऋण लेने वाले किसानों के प्रीमियम की कटौती सीबीएस पोर्टल द्वारा शीर्ष बैंक से निर्धारित दर पर स्वचालित रूप से की जाती है तथा नियमानुसार वांछित दस्तावेज प्रस्तुत करने एवं पात्र होने पर ही बीमा कंपनी द्वारा बीमित किया जाता है। दस्तावेजों का अभाव होने पर बीमा कंपनी द्वारा प्रीमियम लौटा दिया जाता है। उन्होंने बताया कि वर्ष 2023-24 में इसी प्रक्रिया अनुसार कृषकों का ऋण वितरण के समय प्रीमियम ऋण खाते से स्वत: डेबिट हुआ है, जिसे बैंक द्वारा नियमानुसार बीमा कंपनी को भिजवा दिया गया था। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि बैंक द्वारा किये गये निवेशों के संबंध में रिकॉर्ड नियन्त्रक संस्थानों क्रमश: भारतीय रिजर्व बैंक, नाबार्ड व दी राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक को नियमित रूप से प्रस्तुत किया जाता है एवं नियंत्रक संस्थाओं के निरीक्षणों में कोई आक्षेप नहीं किया गया है। उन्होंने बताया कि बैंक के प्रधान कार्यालय एवं शाखाओं के बीच ब्रांच मिलान आज तक पूर्ण है। बैंक में नियमित रूप से रिकन्सीलेशन प्रक्रिया का पालन किया जा रहा है।

उच्च स्तर से निर्णय के पश्चात सेवानियम का ड्राफ्ट तैयार करेगी कमेटी

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । प्रदेश में राजस्थान राज्य सहकारी बैंक एवं केंद्रीय सहकारी बैंक के अधिकारी एवं कर्मचारी के सेवा नियम बनाए जाने के संबंध में 12 फरवरी 2020 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार एक कमेटी का गठन होने के पश्चात दो माह पहले गठित कमेटी की बैठक अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) प्रधान कार्यालय जयपुर की अध्यक्षता संपन्न हुई, जिसमें केंद्रीय सहकारी बैंक के तैयार ड्राफ्ट सेवानियम एवं पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के सेवानियम 2022 पर गहनता से विचार विमर्श कर, पैक्स-लैम्पस कर्मचारियों के सेवानियम 2022 में स्वीकृत स्टाफ स्ट्रैथ के अनुसार बैंकिंग सहायक के पदों पर 20 प्रतिशत चयन संबंधित कार्यक्षेत्र की पैक्स-लैम्पस के व्यवस्थापकों से किए जाने वही, प्रचलित सेवानियम में ऋण पर्यवेक्षक का चयन व्यवस्थापकों से किए जाने के प्रावधान के संबंध में विचार विमर्श कर, कमेटी ने निष्कर्ष दिया कि, यदि सेवा नियम, 2022 को मध्यनजर रखते हुए केन्द्रीय सहकारी बैंकों के प्रस्तावित सेवा नियम में बैंकिंग सहायक के पद 20 प्रतिशत, व्यवस्थापक के लिए सुरक्षित रखे जाते हैं, तो इस स्थिति में स्टॉफ स्ट्रैन्थ अनुसार ऋण पर्यवेक्षक के पद (जो वर्तमान मे सभी बैंकों में लगभग रिक्त है) रिक्त ही रखे जाएंगे, जब तक की स्वीकृत स्टॉफ स्ट्रैन्थ से इन पदों को समाप्त नहीं कर दिया जाए ।

9 सदस्य कमेटी ने तीन बिन्दुओं के निष्कर्ष भेजे उच्च स्तर पर

कमेटी की बैठक में केंद्रीय सहकारी बैंक के तैयार सेवानियम एवं पैक्स-लैपस कर्मचारियों के सेवानियम 2022 पर गहनता से विचार

निर्णय के पश्चात सेवा नियम का तैयार होगा ड्राफ्ट

कमेटी की बैठक के पश्चात जारी हुए आदेश के मुताबिक, केन्द्रीय सहकारी बैंकों में पैक्स-लैम्पस की मोनेटरिंग व निरीक्षण इत्यादि कार्यों के दृष्टिगत रखते हुए ऋण पर्यवेक्षक का पद पूर्व की भांति रखे जाने पर निर्णय हो जाता है तो तद्नुसार पैक्स-लैम्पस कर्मचारी सेवा नियम, 2022 में भी यथा स्थान संशोधन कराया जाने, के अलावा, अगर ऋण पर्यवेक्षक के पद को समाप्त किये जाने पर निर्णय होता है तो स्वीकृत स्ट्राफ स्ट्रैन्थ में इन पदों को समान वेतन श्रृखंला के पद बैंकिंग सहायक पद में समाहित करते हुए बैंकिंग सहायक के पदों की संख्या बढ़ाई जाने का निर्णय अपेक्षित होगा, इन बिन्दुओं पर उच्च स्तर से निर्णय उपरान्त ही कमेटी द्वारा प्रस्तावित सेवा नियम का ड्राफ्ट तैयार किये जाने का निर्णय लिया गया हैं,

9 सदस्य वाली कमेटी का गठन

राजस्थान राज्य सहकारी बैंक व प्रदेश के केन्द्रीय सहकारी बैंकों के अधिकारियों एवं कर्मचारियों के सेवा नियम बनाये जाने के संबंध में 12 फरवरी 2020 को जारी विभागीय आदेश के अनुसार एक कमेटी का गठन किया गया था, जिसमें अतिरिक्त रजिस्ट्रार (द्वितीय) प्रधान कार्यालय जयपुर को अध्यक्ष तथा संयुक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्रधान कार्यालय जयपुर को सदस्य सचिव बनाया गया, इसके अलावा अतिरिक्त रजिस्ट्रार (मार्केटिंग) प्रधान कार्यालय जयपुर, प्रबंध निदेशक राजस्थान राज्य सहकारी बैंक जयपुर, अतिरिक्त रजिस्ट्रार (बैंकिंग) प्रधान कार्यालय जयपुर, संयुक्त रजिस्ट्रार (नियम) प्रधान कार्यालय जयपुर, महाप्रबंधक (वाणिज्य) राजफैड जयपुर, प्रबंध निदेशक कोटा सीसीबी, प्रबंध निदेशक जयपुर सीसीबी को कमेटी में सदस्य बनाया गया हैं ।

2 ई-मित्र कियोस्कों किया स्थाई रूप से बंद

जालोर। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग द्वारा जिले में कियोस्कधारकों द्वारा विभागीय नियमानुसार कार्य नहीं करने व लापरवाही बरतने पर 2 ई-मित्र कियोस्कों को स्थाई रूप से बंद किया गया हैं। सूचना प्रौद्योगिकी और संचार विभाग के संयुक्त निदेशक योगेश कुमार ने बताया कि जिले में हेड पोस्ट ऑफिस रोड़ जालोर पर कियोस्कधारक भावेश कुमार (के116214558) व उम्मेदाबाद के कियोस्कधारक सोमित माली (के1-16272661) द्वारा विभागीय नियमानुसार कार्य नहीं करने, डॉक्यूमेंट में छेड़छाड़ करने, निरीक्षण में सहयोग नहीं करने एवं हाथापाई करने, निर्धारित दर से अधिक राशि वसूल करने, आमजन के ई-मित्र संबंधित कार्यों को अनावश्यक रोकने व लम्बे समय से ई-मित्र नहीं खोलने के कारण इनके ई-मित्र कियोस्कों को स्थाई रूप से बन्द किया गया है।

अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत जीवाणा में

मोठ की उन्नत खेती पर असंस्थागत प्रशिक्षण का आयोजन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। कृषि विज्ञान केन्द्र केशवना द्वारा अनुसूचित जनजाति उपयोजना के तहत विभिन्न तकनीकी हस्तक्षेपों के माध्यम से अनुसूचित जनजाति वर्ग के परिवार की आय में वृद्धि कर उन्हें स्थायी आजीविका प्रदान करने तथा उनके जीवन स्तर में सुधार लाने के उद्देश्य से जीवाणा में जनजातीय किसानों के लिए मोठ की वैज्ञानिक खेती पर असंस्थागत प्रशिक्षण का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में जीवाणा सरपंच उत्तम सिंह धनेचा सहित कुल 30 किसानों ने भाग लिया। कार्यक्रम में नोडल ऑफिसर डॉ पवन कुमार पारीक ने किसानों को मोठ फसल की उन्नत खेती की जानकारी दी तथा मोठ फसल को पश्चिमी राजस्थान में उगाई जाने बाली दलहन फसलों में प्रमुख फसल देते हुए कहा कि इस फसल में सूखा सहन करने की क्षमता अन्य दलहन फसलों की अपेक्षा अधिक होती है। केंद्र के शस्य वैज्ञानिक बिरम सिंह गुर्जर ने मोठ की उन्नत किस्म आर एम् ओ 435 की विशेषताओ को बताते हुए मोठ की वैज्ञानिक खेती के लिए बुवाई से कटाई तक सभी कृषि क्रियाओं के बारे में विस्तार से बताते हुए कृषि में उन्नत बीज के महत्व एवं मोठ की फसल में लगने वाले रोग एवं कीटों के बारे में किसानों को जानकारी दी। इस प्रशिक्षण कार्यक्रम के अंत में अनुसूचित जनजाति वर्ग के 25 किसानों को मोठ की उन्नत किस्म आरएमओ 435 का अग्रिम पंक्ति प्रदर्शन दिया गया।

विधानसभा के मुख्य सचेतक व आहोर विधायक के साथ मुख्यमंत्री व जल संसाधन मंत्री के समक्ष

जवाई नदी को पुनर्जीवित करने के विषय में किसान प्रतिनिधि मण्डल ने रखी अपनी मांगे

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर। राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग व आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित के साथ भारतीय किसान संघ जिला शाखा-जालोर के 20 किसानों ने जालोर जिले की जवाई नदी को पुनर्जीवित करने के विषय में जवाई बाँध के पानी में जालोर क्षेत्र में बहाव के लिए हक तय करवाने एवं माही नदी के पानी को सिरोही-जालोर व बाड़मेर में सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने तथा कृषि बीमा योजना की शर्तों की संशोधित कर किसानों के हित में न्यायसंगत बनाने की 3 सूत्रीय मांग लेकर राज्य के मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा से मुलाकात कर अपनी मांगे रखी। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने किसानों की समस्याओं पर जवाई नदी के प्राकृतिक बहाव को बनाये रखने, माही नदी के पानी को जालोर, सिरोही व बाड़मेर के लिए उपलब्ध करवाने तथा किसानों के फसल बीमा संबंधी समस्याओं का किसानों के हित में समाधान करवाने का सहर्ष आवश्वासन देते हुए कहा कि जल्दी ही इस संबंध में जलनीति पर अमल करते हुए किसानों की जल, नदी एवं फसल बीमा से संबंधित समस्याओं का निराकरण किया जायेगा। इसी प्रकार किसान प्रतिनिधि मण्डल ने 22 जुलाई को राजस्थान विधानसभा के मुख्य सचेतक जोगेश्वर गर्ग व आहोर विधायक छगनसिंह राजपुरोहित के साथ राज्य के जल संसाधन मंत्री सुरेश सिंह रावत के समक्ष माही के जल को सिंचाई के लिए उपलब्ध करवाने तथा जालोर जिले में नदियों को पुनर्जीवित करने संबंधी मांगों को रखा जिन पर जल संसाधन मंत्री ने पूर्णरूप से आश्वस्त किया। इस दौरान पूर्व विधायक शंकरसिंह राजपुरोहित उपस्थित रहे।

नाबार्ड ने डूंगरपुर जिले में डीडीएम कार्यालय का किया उद्घाटन

डूंगरपुर,। राष्ट्रीय कृषि और ग्रामीण विकास बैंक (नाबार्ड) द्वारा डूंगरपुर जिले में नए जिला विकास प्रबंधक (डीडीएम) कार्यालय का उद्घाटन किया हैं। नाबार्ड के मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव सिवाच ने वीडियों कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से डीडीएम कार्यालय का उद्घाटन किया। नवगठित सलुम्बर जिले को भी डूंगरपुर डीडीएम कार्यालय से टैग किया गया हैं। नया डीडीएम कार्यालय इन दोनों जिलों की कृषि और ग्रामीण विकास आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए समर्पित होगा। मुख्य महाप्रबंधक डॉ. राजीव ने कहा कि यह कार्यालय न केवल ग्रामीण आधारभूत संरचनाओं के निर्माण में मदद करेगा बल्कि कृषि में पूंजी निवेश को भी बढ़ावा देगा।

विधानसभा में आश्वासन : प्रदेश में एमएसपी पर बाजरे की खरीद पर विचार करेगी राज्य सरकार

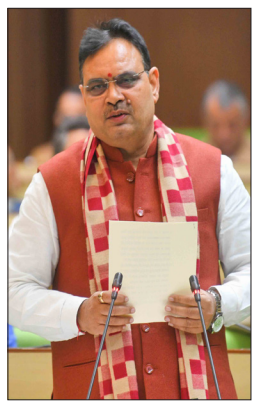

जयपुर,। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा ने कहा कि प्रदेश के किसानों के हित को ध्यान में रखते हुए राज्य सरकार न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरे की खरीद पर विचार करेगी। उन्होंने विधानसभा में प्रश्नकाल के दौरान बाजरे की खरीद पर पूछे गए प्रश्न पर स्पष्ट करते हुए कहा कि राज्य सरकार ने इस सम्बन्ध में केन्द्र सरकार को पत्र लिखा है। मुख्यमंत्री श्री शर्मा ने कहा कि पूर्ववर्ती सरकार के पांच साल के कार्यकाल में प्रदेश के किसानों के साथ धोखा हुआ और एमएसपी पर बाजरे की फसल की खरीद नहीं की गई। उन्होंने कहा कि गत सरकार के समय में बाजरे के किसानों को 1400 रुपए से 1500 रुपए प्रति क्विंटल की दर पर अपनी फसल बेचने को मजबूर होना पड़ा, जबकि उत्तर प्रदेश, गुजरात, हरियाणा और मध्य प्रदेश के किसानों का बाजरा 2300 रुपए प्रति क्विंटल की दर से बिक रहा था। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार जो कहती है वह करके दिखाती है। वर्तमान सरकार के गठन के बाद बाजरे की पहली फसल आएगी। हम किसानों को लाभान्वित करने का पूरा प्रयास करेंगे। इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री श्री सुमित गोदारा ने बाजरे के उत्पादन और खरीद के सम्बन्ध में सदस्य डॉ. ऋतु बनावत द्वारा पूछे गए पूरक प्रश्न के जवाब में बताया कि प्रधानमंत्री श्री नरेन्द्र मोदी श्रीअन्न को देश-विदेश में बढ़ावा दे रहे हैं। मुख्यमंत्री श्री भजनलाल शर्मा के नेतृत्व में राज्य सरकार भी श्रीअन्न को प्रोत्साहन देने के लिए प्रतिबद्ध है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों के कल्याण के लिए तत्पर है। हमारी सरकार के समय में गेहूं के समर्थन मूल्य पर 125 रुपए प्रति किंव्ट्लअतिरिक्त बोनस देने, किसान सम्मान निधि के अंतर्गत 650 करोड़ रुपए देने, पेट्रोल-डीजल की कीमतों में कमी करने एवं कृषि कनेक्शन जारी करने जैसे महत्वपूर्ण निर्णय किए गए हैं। उन्होंने कहा कि लम्बे समय से प्रदेश में एमएसपी पर बाजरे की खरीद नहीं की गई है, लेकिन हमारी सरकार इस पर गम्भीरता से विचार करेगी। इससे पहले खाद्य एवं नागरिक आपूर्ति मंत्री ने प्रश्न के लिखित जवाब में बताया कि प्रदेश में वर्ष 2022.23 में 59 लाख 18 हजार 718 टन एवं 2023.24 में 43 लाख 82 हजार 760 मैट्रिक टन बाजरे का उत्पादन हुआ। उन्होंने बताया कि खरीफ विपणन सीजन वर्ष 2022.23 एवं 2023.24 के दौरान प्रदेश में न्यूनतम समर्थन मूल्य पर बाजरा खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया। बाजरे का लक्ष्य निर्धारित नहीं होने से खरीद नहीं हुई। उन्होंने कहा कि वर्ष 2024 में आने वाली खरीफ फसल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य पर खरीद का लक्ष्य निर्धारित नहीं किया गया है।

एआईसीबीईएफ राष्ट्रीय पदाधिकारियों की चेन्नई में बैठक संपन्न

भारत सरकार से बजट में सहकारी बैंकों को पूंजीकरण सहायता की मांग-आमेरा

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर । ऑल इंडिया को ऑपरेटिव बैंक एम्पलाइज फेडरेशन के राष्ट्रीय पदाधिकारियों की बैठक तमिलनाडु राज्य की राजधानी चेन्नई में राष्ट्रीय अध्यक्ष जी वाईरप्पन की अध्यक्षता में संपन्न हुई, जिसमें मुख्य अतिथि के रूप में ऑल इंडिया बैंक एम्पलाइज एसोसिएशन के राष्ट्रीय महासचिव सीएच वेंकटचलम शामिल हुए, साथ ही, राजस्थान से सहकार नेता एवं फेडरेशन के राष्ट्रीय उपाध्यक्ष सूरजभानसिंह आमेरा भी शामिल हुए । सहकार नेता ने बताया कि बैठक में सहकारी बैंकिंग व्यवस्था व सहकारी साख आंदोलन को सक्षम, सुदृढ़ व पारदर्शी बनाए जाने पर विचार करते हुए किसानों के हित में सहकारी बैंकों के पूँजीगत संसाधन के लिए भारत सरकार से सहकारी बैंको के लिए बजट में पुनर्पूजीकरण सहायता का बजट प्रावधान करते हुए सहायता जारी करने की मांग की गई, उन्होने बताया कि भारत सरकार द्वारा हर वर्ष व्यावसायिक बैंको के लिए करोड़ों रूपये की पूँजीगत सहायता जारी की जाती है, लेकिन किसानों व कृषि से जुड़े सहकारी बैंको को कोई पूँजीगत सहायता नहीं दी जा रही है, जबकि सहकारी बैंकों से करोड़ों रुपये का आयकर उगाया जाता है, जिससे सहकारी बैंक कमजोर हो रहे है।

संसद पर होगा धरना प्रदर्शन

सहकार नेता ने बताया की फ़ेडरेशन के अखिल भारतीय आह्वान पर इन सभी मुद्दों व माँग को लेकर अगस्त एवं सितंबर माह में सहकारी बैंक कर्मचारी व अधिकारी द्वारा विभिन्न राज्यों में सेमिनार व सम्मेलन आयोजित कर कार्मिको को जागरूक करने के लिए अभियान चलाए जाएंगे, इसके लिए पोस्टर व बेज जारी किए जाएंगे, वही, राज्यो की विधानसभा पर राज्य स्तरीय धरने आयोजित किए जाएंगे, इसके साथ ही, संसद के शीतकालीन सत्र के दौरान दिल्ली में एआईबीईए व एआईसीबीईएफ मिलकर संयुक्त रूप से सहकारी बैंक के लिए जंतर मन्तर से रैली आयोजित कर संसद पर धरना प्रदर्शन करेंगें ।

बैठक में विभिन्न मुद्दो पर हुई चर्चा

- भूमी विकास बैंकों का सविलयन व समामेलन करने, जिसमें पीएलडीबी को एसएलडीबी की शाखा बनाकर इस सेक्टर को पूँजीगत सहायता से आर्थिक पुनरुद्धार करने
- सहकारी बैंकिंग में सीसीबी को अपैक्स बैंक की शाखाएं बनाकर टू टियर बैंकिंग व्यवस्था से राज्य में एक बड़ा सहकारी बैंक बनाने
- सहकारी बैंकों पर आयकर प्रावधान समाप्त कर पहले की तरह आयकर फ्री करने,
- ईपीएस 95 से देय उच्च पेंशन जारी करने,
- सहकारी कर्मियों को सामाजिक सुरक्षा के लिए पेंशन सुविधा लागू कराने,
- बैंकिंग रेगुलेशन एक्ट के प्रावधान व रिजर्व बैंक के निर्देश प्रभावी रूप से लागू करने,
- अरबन बैंकिंग व्यवस्था में हो रहे गबन व घोटालो से आमजन को सुरक्षित करने
- पैक्स कार्मिक के सेवा शर्तों में वेतन भुगतान सुनिश्चित करने,
- नेट व डिजिटल बैंकिंग स्वीकृति के लिए उदारता बरतने

आदि मुद्दों पर चर्चा कर प्रस्ताव पारित किए गए हैं ।

घर बैठे मारवाड़ का मित्र मंगाने के लिए भर कर भेजें

सदस्यता फॉर्म

मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक मारवाड़ आंचल का प्रमुख पाक्षिक समाचार पत्र हैं । समाचार पत्र में कृषि पशुपालन, सहकारिता, ग्रामीण विकास से जुड़ी अहम खबरों का प्रकाशन कर पाठकों तक अखबार की प्रति प्रेषण कर रहा है। मारवाड़ का मित्र समय-समय पर भिन्न-भिन्न विषयों पर विशेषांक का प्रकाशन भी करता है तथा अपने ग्राहकों को बिना किसी अतिरिक्त शुल्क के भेजता है ।
अत: मुझे / हमें भी अंग्राकित पते पर मारवाड़ का मित्र समाचार पत्र की प्रति डाक द्वारा भेजें ।

सदस्यता राशि

☐ एक वर्ष रु. 350/- ☐ दो वर्ष रु. 700/- ☐ तीन वर्ष रु. 1050/- ☐ छह वर्ष रु. 2100/-

डाक से नियमित रूप से इस पते पर मारवाड़ का मित्र भेजने के लिए DD / मनीआर्डर मारवाड़ का मित्र के नाम भेज रहा हूं ।

नाम / संस्था का नाम.....
ग्राम..... पोस्ट.....
तहसील..... जिला.....
फोन..... पिन कोड.....
राशि (रुपए) ..... बैंक का नाम.....

अगर आप किसी कारण से भुगतान नहीं कर पा रहे हैं तो सीधे हमारे बैंक अकाउंट में पैसे भेजें. अगर आप सीधे बैंक ट्रांसफर कर रहे हैं तो Marwadkamitra@gmail.com पर अपना पूरा नाम, फोन नंबर, भुगतान की राशि और Transaction id हमें मेल करें ताकि हम आपका व्यक्तिगत तौर पर आभार प्रकट कर सकें.

Bank Account Details :
Name: Marwad ka Mitra
A/C No.: 11134027554
IFSC Code: RMGB0000134
Google / Phonepay
9602473302

सदस्यता हेतु लिखें → मारवाड़ का मित्र हिंदी पाक्षिक समाचार पत्र
संपादकीय/व्यवस्थापक कार्यालय - वैष्णव फार्म परावा,
तहसील-चितलवाना जिला-जालोर 343041
Mo. 9602473302, Visit Us:Marwadkamitra.in

मारवाड़ का मित्र

हिन्दी पाक्षिक समाचार पत्र

सांचौर, गुरुवार, 1 अगस्त 2024

4

RNI Reg. No - RAJHIN/2003/10136

Post Reg No. R.J./SRO/9657/2023-25

19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना

प्रथम चरण में 5 लाख गोपालक परिवारों को मिलेगा एक लाख रुपये तक का ब्याज मुक्त ऋण

700 पदों पर भर्ती से संस्थाओं की कार्यक्षमता में भी वृद्धि

500 मीट्रिक टन तक के गोदाम बनाने की घोषणा

23000 करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरित होगा इस साल

गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपये के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये किया

सहकारिता विभाग की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर, । सहकारिता राज्य मंत्री श्री गोतम कुमार ने कहा कि सहकारिता के बिना गरीब कल्याण और अन्त्योदय की कल्पना संभव नहीं है। समृद्ध सहकार, खुशहाल किसान राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार सभी घोषणाएं समयबद्ध रूप से पूरा करने के लिए कटिबद्ध है। श्री गोतम कुमार को विधानसभा में सहकारिता विभाग (मांग संख्या-50) की अनुदान मांग पर हुई बहस का जवाब दे रहे थे। चर्चा के बाद सदन ने सहकारिता विभाग की 19 अरब 80 करोड़ 29 लाख 71 हजार रूपये की अनुदान मांगें ध्वनिमत से पारित कर दी। सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि राज्य में विभिन्न प्रकार की 41 हजार सहकारी समितियों के एक करोड़ 35 लाख से अधिक सदस्य हैं। इन समितियों की 21 हजार 480 करोड़ रुपये से अधिक हिस्सा पूंजी व एक लाख 37 हजार 96 करोड़ रुपये से अधिक की कार्यशील पूंजी है। प्रदेश की लगभग 20 प्रतिशत आबादी सहकारिता विभाग से जुड़ी हुई है। उन्होंने बताया कि किसानों की अल्पकालीन जरूरतों के लिए इस वित्तीय वर्ष में 23 हजार करोड़ रुपये के फसली ऋण वितरण तथा 5 लाख नये सदस्यों को जोड़ने का लक्ष्य रखा गया है। 24 जुलाई, 2024 तक 24 लाख किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण का वितरण भी किया जा चुका है। श्री गोतम कुमार ने कहा कि किसानों एवं पशुपालकों की जरूरतों का ध्यान रखते हुए लेखानुदान में गोपाल क्रेडिट कार्ड योजना शुरू करने की घोषणा की गई है। योजना के प्रथम चरण में लगभग 5 लाख गोपालक परिवारों को एक लाख रुपये तक ब्याज मुक्त अल्पकालीन ऋण पशुपालन, डेयरी से सम्बन्धित गतिविधियों तथा शेड एवं खाली के निर्माण के लिए उपलब्ध कराये जाएंगे। शीघ्र ही इसके लिए आवेदन आमंत्रित किये जाएंगे। उन्होंने बताया कि सरकार बनने के महज 2 माह के भीतर ही प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि के समान मुख्यमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की शुरूआत कर इस वर्ष 2 हजार रुपये जोड़ते हुए राज्य सरकार द्वारा किसानों को 1400 करोड़ रुपये अतिरिक्त दिये जाएंगे। सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि 30 जून को टोंक जिले से योजना का शुभारम्भ करते हुए 65 लाख से अधिक किसानों के खातों में 650 करोड़ रुपये डीबीटी किये गए।

सहकारी बैंकों में 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया

गोतम कुमार ने कहा कि प्रत्येक ग्राम पंचायत पर सहकारी समिति बनाने एवं प्रत्येक ब्लॉक पर महिला सहकारी समिति बनाने का हमारा संकल्प है। हमारी सरकार के गठन के बाद अब तक 51 ब्लॉक में महिला जीएसएस का गठन कर प्रत्येक को 3 लाख रुपये की राजकीय हिस्सा राशि भी जारी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि सहकारी बैंकों में 5 साल बाद भर्ती प्रक्रिया आरम्भ कर दी गई है। लगभग 700 पदों पर भर्ती से बेरोजगारों को रोजगार मिलेगा तथा संस्थाओं की कार्यक्षमता में भी वृद्धि होगी।

दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए दोगुना किया

सहकारिता राज्य मंत्री ने बताया कि सहकारी बैंकों द्वारा दिए जाने वाले दीर्घकालीन ऋण का दायरा बढ़ाते हुए गत वर्ष में वितरित 50 करोड़ रुपये के ऋण को दोगुना कर 100 करोड़ रुपये का ऋण दिया जाएगा। साथ ही, समय पर ऋण चुकाने वाले काश्तकारों को मिलने वाले 5 प्रतिशत ब्याज अनुदान को 2 प्रतिशत बढ़ाकर 7 प्रतिशत किया गया है। उन्होंने कहा कि विगत कई वर्षों से महज 100 मीट्रिक टन के गोदाम निर्माण का प्रावधान था। अब राज्य सरकार ने पहली बार 500 मीट्रिक टन तक के गोदाम बनाने की घोषणा की तथा राशि को भी लगभग 3 गुना बढ़ाकर 35 करोड़ रुपये कर दिया।

नये को-ऑपरेटिव कोड लाएगी सरकार

सहकारिता राज्य मंत्री ने कहा कि समितियों के बोर्ड सदस्यों और व्यवस्थापकों को नियमों व प्रक्रियाओं की जानकारी के लिए क्वालिटी ट्रेनिंग की आवश्यकता के दृष्टिगत राइसेम के माध्यम से 25 हजार प्रशिक्षण मानव दिवस पूर्ण करने की कार्ययोजना बनाई गई है। उन्होंने बताया कि राज्य सरकार विस्तृत अध्ययन कर पुरानी कमियों को दूर करते हुए सहकारी आन्दोलन को और सशक्त एवं समृद्ध बनाने के लिए नये को-ऑपरेटिव कोड लाएगी।

1000 नये कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे

सहकारिता मंत्री ने कहा कि प्रदेश में 1000 नये कस्टम हायरिंग सेंटर खोले जाएंगे। उन्होंने कहा कि हमारी सरकार की भ्रष्टाचार के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति है। समितियों और अन्य स्तर पर जो अनियमितताएं हुई हैं, उनकी नियमित समीक्षा की जा रही है तथा ऐसे प्रकरणों में सख्त कार्यवाही की गई है। भविष्य में भी दोषी अधिकारियों-कर्मचारियों के विरूद्ध कठोर कार्यवाही जारी रहेगी। उन्होंने कहा सहकारी समितियों को कम्प्यूटराइजेशन के साथ ऑनलाइन किया जा रहा है। अब तक 1231 सहकारी समितियों को गो-लाइव कर दिया गया है तथा शेष समितियों को भी चरणबद्ध रूप से गो-लाइव करने का कार्य किया जा रहा है। इस कार्य से सहकारी समितियों में पारदर्शिता और कार्यों के निष्पादन में गति आएगी।

सीसीबी की शाखाओं में पी.एफ खाते नहीं खोलने को लेकर निर्देश जारी

सिरोही । *जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां में कार्यरत व्यवस्थापक, सहायक व्यवस्थापक, सेल्समैन एवं कम्प्यूटर ऑपरेटर के पी.एफ खाते केन्द्रीय सहकारी बैंक की संचालित शाखा में नहीं खोलने के क्रम में सीसीबी प्रबंध निदेशक की ओर से समस्त शाखा प्रबंधक एवं ऋण पर्यवेक्षक को एक बार फिर पत्र जारी किया गया हैं, हालांकि इससे पूर्व 10 अक्टूबर 2023 को भी इस संबंध में पत्र जारी हुआ था । हाल ही में जारी पत्रानुसार, सीसीबी की शाखाओं में वर्तमान में संचालित सहकारी समिति कार्मिकों के पी.एफ खाते बंद कर, उसकी कार्यवाही बैंक प्रधान कार्यालय को भिजवाने के निर्देश दिए है, गौरतलब हैं कि दो साल पहले सहकारिता विभाग पंजीयक कार्यालय की ओर से प्राथमिक कृषि ऋणदात्री सहकारी समितियां एवं वृहत कृषि बहुउद्देशीय सहकारी समितियां के कर्मचारियों भर्ती, चयन प्रक्रिया एवं सेवानियम-2022 जारी कर, समिति में कार्यरत कर्मचारियों से नियमानुसार भविष्य निधि अंशदान काटा जाकर भविष्य निधि आयुक्त के यहां संबंधित समिति द्वारा जमा कराने का नियम लागू किया था ।*

नए किसान सदस्यों नहीं मिला रहा फसली सहकारी ऋण

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जालोर । प्रदेश सरकार किसानों के हित के लिए कितने ही वादे करती हो, लेकिन उनका जमीनी स्तर पर किसानों को लाभ नहीं मिल रहा हैं, जिले में ग्राम सेवा सहकारी समितियों के माध्यम से किसानों को ब्याज मुक्त योजना में अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध करवाया जा रहा हैं, हाल ही में राज्य सरकार ने 5 लाख नए किसान सदस्यों को अल्पकालीन फसली ऋण उपलब्ध कराने की बजट घोषणा तो कर दी हैं, लेकिन जालोर एवं सांचौर जिले में पिछले एक साल से फसली सहकारी ऋण लेने के लिए ग्राम सेवा सहकारी समितियां के माध्यम से पंजीयन करवाने के बावजुद नए किसानों को ऋण देने में केंद्रीय सहकारी बैंक बजट के अभाव में कतरा रहा हैं, ग्राम सेवा सहकारी समितियों से बकायदा पंजीकृत होने के बाद जब एसटी लोन की फाइल शाखा स्तर पर स्वीकृत करवाने की बारी आती हैं, तो वह फाइल दूसरी फाइलों के बीच केवल धूल फांकती रह जाती हैं, इस समस्या से जुझ रहें किसानों ने बताया कि जब सहकारी समितियां के व्यवस्थापकों से ऋण मिलने के संबंध में संपर्क किया जाता हैं, तो समितियों के व्यवस्थापकों की ओर से नए किसान सदस्यों को समिति स्तर की कार्यवाही पूर्ण होने का हवाला देकर बैंक स्तर से ऋण प्रक्रिया की कार्यवाही लंबित होने का कहकर बात को टाल दिया जाता हैं, और जब शाखा मुख्यालय पर पंजीकृत किसानों द्वारा फसली ऋण मिलने के संबंध में संपर्क करने पर, बैंक में बजट नहीं होने का हवाला देकर किसानों को गुमराह किया जा रहा हैं । जबकि अपेक्स बैंक की ओर से केंद्रीय सहकारी बैंक को वित्तीय वर्ष 2024-25 के लिए 800 करोड़ से ज्यादा का अल्पकालीन फसली ऋण वितरित करने का लक्ष्य आंवटित किया हुआ है। गौरतलब है कि हाल ही में विभाग को बजट घोषणा के अनुरूप पांच लाख नए किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण योजना से जोडना हैं, लेकिन सांचौर एवं जालोर जिले में तो एक साल पहले पंजीयन करवाने वाले नए किसानों को ऋण के लिए आज दिन तक सहकारी समितियां और सीसीबी शाखा के बीच चक्कर लगाने पड़ रहे है।

सौतेला व्यवहार का आरोप

सांचौर जिले के किसानों ने तो, बैंक प्रशासक एवं जिला कलेक्टर जालोर पर सांचौर जिले में फसली ऋण वितरण योजना में सौतेला व्यवहार करने का आरोप तक का लगाते हुए कहा हैं कि बैंक प्रशासक की सह पर सीसीबी बैंक प्रबंधन द्वारा केवल और केवल आहोर एवं जालोर शाखा अंतर्गत गिनी-चुनी समितियों में ही नए किसानों को फसली ऋण मुहैया करवाया जा रहा हैं, जबकि सरकार द्वारा नए किसानों को फसली ऋण उपलब्ध कराने को लेकर आए दिन मीडिया में निरतंर खबरें चलाई जा रही हैं,

हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

श्री थानसिंह ईन्दा
मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक
रायपुर जीएसएस

हमारे प्रिय थानसिंह ईन्दा मुख्य कार्यकारी व्यवस्थापक रायपुर जीएसएस के दी सिरोही सैण्ट्रल को- ऑपरेटिव बैंक शाखा मण्डार एवं रेवदर में कार्यवाहक ऋण पर्यवेक्षक बनने पर हार्दिक बधाई एवं शुभकामनाएं

शुभेच्छु

नरपतसिंह - अध्यक्ष राजुसिंह, पुष्पेंद्रसिंह ईन्दा सहायक व्यवस्थापक
एवं समस्त संचालक मण्डल सदस्य गण
रायपुर आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति लिमिटेड

PACS को बहुउद्देशीय बनाते मॉडल उपनियम

- PACS कस्टम हायरिंग सेवाएं देने में भी सक्षम
- किसानों को मिल पाते हैं आधुनिक कृषि उपकरण
- कृषि उपज और उनकी आय में होती है वृद्धि

राजस्थान में अपेक्स बैंक के सभी एटीएम कार्ड अचानक हुए एक्सपायर,

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान स्टेट को-ऑपरेटिव बैंक यानी सहकारी बैंकों के सभी एटीएम कार्ड अचानक एक्सपायर हो गए हैं। जिस वजह से प्रदेश के करीब 35 लाख किसान दिक्कत में आ गए हैं। यहीं नहीं इसके साथ ही अन्य 40 हजार ग्राहकों भी इसके लपेटे में आ गए हैं। इस वजह से एटीएम से पैसा जमा करना या निकालने का काम बंद हो गया है।

इन ग्राहकों को राजस्थान के अपेक्स बैंक के 15 और 29 सेंट्रल को-ऑपरेटिव बैंकों के 200 एटीएम के अलावा अन्य 10 बैंकों के एटीएम से भी रुपए के आहरण की सुविधा है।

इन बैंकों से किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण दिया जाता है। फसली ऋण से जुड़े ये 35 लाख किसान एटीएम कार्ड एक्सपायर होने के बाद बौखला गए हैं। बताया जा रहा है कि राजस्थान राज्य सहकारी बैंक लिमिटेड की आईटी सेल की वजह से 35 लाख किसान दिक्कत में आ गए हैं।

अपेक्स बैंक से जारी एटीएम कार्ड की एक्सपायरी डेट जून 2024 थी। जो अब एक्सपायर कर गई है। पर बैंक नया कार्ड समय से जारी नहीं कर सका। जिस वजह से अब ग्राहकों एटीएम का यूज नहीं कर सकेंगे। अगर कैश निकालना होगा तो बैंक में जाकर वहां से कैश विद-ड्रॉल कर सकेंगे।

राजस्थान के सहकारिता मंत्री गौतम कुमार दक ने बताया कि नए एटीएम कार्ड बनाने की प्रक्रिया शुरू हो गई है। समय पर एटीएम कार्ड इशू क्यों नहीं हुए, इसकी जांच कराई जा रही है। नोटिस दिए हैं। ग्राहकों को एक माह में नए कार्ड मिल जाएंगे।

किसानों ने रिलायंस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने की उठाई मांग

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

सांचौर। जिले के निकटवर्ती सिवाड़ा चौहान में राजस्थान किसान सभा की मीटिंग प्राथमिक कृषि ऋणदात्री बहुउद्देशीय सहकारी समिति सिवाड़ा के अध्यक्ष कनकराज पुरोहित की अध्यक्षता एवं ठाकुर राजूसिंह के आतिथ्य और किसान सभा के जिला अध्यक्ष ईशाराम विश्नोई की देखरेख में महादेव मंदिर सिवाड़ा में आयोजित हुई, जिसमें किसानों की विभिन्न समस्याओं पर चर्चा कर विभिन्न प्रस्ताव पारित किए गए । किसान सभा के जिला प्रवक्ता विरदसिंह चौहान ने बताया कि आयोजित मीटिंग में मुख्य मुद्दा फसल बीमा क्लेम का रहा, रिलायंस कंपनी द्वारा करोड़ों रुपए प्रीमियम के रुप में काटे जाने के उपरांत भी बीमा क्लेम का भुगतान नहीं किया जा रहा है। जिससे आहत होकर उपस्थित किसानों ने इस कंपनी को ब्लैकलिस्टेड करने हेतु उच्चाधिकारियों को पत्र देने का निर्णय लिया, और रिलायंस कंपनी के खिलाफ जमकर नारेबाजी कर आक्रोश व्यक्त किया। इस दौरान अमरसिंह चौहान ने सांचौर जिला मुख्यालय पर संयुक्त किसान मोर्चा की 9 अगस्त को प्रस्तावित रैली प्रदर्शन में ग्राम इकाई सिवाड़ा से 100 किसान सदस्य को भाग लेने की बात कही, वही, ठाकराराम शर्मा द्वारा पीले चावल बांटकर आगामी 9 अगस्त को सांचौर रैली में भाग लेने हेतु न्यौता दिया गया, इस दौरान हेमराज सोनी, गणपत सिंह, ईश्वर सिंह, छोगाराम, लक्ष्मण सिंह, औखाराम, दूदाराम, ठाकराराम शर्मा, नवाराम, चेनसिह, कालू सिंह, जबरमल मौजूद रहे।

पूर्वी राजस्थान में सक्रिय रहेगा मानसून

जयपुर. राजस्थान के पूर्वी हिस्सों में आगामी 4-5 दिन मानसून सक्रिय रहने और बारिश की गतिविधियां जारी रहने की संभावना है। मौसम विज्ञान केन्द्र जयपुर के अनुसार मानसून ट्रफ लाइन अभी बीकानेर, अजमेर से गुजर रही है। इस सिस्टम के प्रभाव से 5 दिन मानसून एक्टिव रहेगा।

नीति के विपरीत वसूल रहे टोल

जयपुर, सदन में शून्यकाल के दौरान देश और प्रदेश की टोल नीति के विपरीत टोल वसूली का मामला गूंजा। कांग्रेस विधायक ललित यादव ने सदन में कहा कि नेशनल हाईवे और स्टेट हाईवे पर टोल वसूलने के लिए जो नीति बनाई गई है, उसके विपरीत टोल वसूला जा रहा है। यादव ने कहा कि नेशनल हाईवे एक्ट के अनुसार साठ किलोमीटर से कम में टोल वसूला नहीं जा सकता, लेकिन दौलतपुरा टोल से मनोहरपुर टोल की दूरी मात्र 35 किलोमीटर ही है। केन्द्रीय मंत्री नितिन गडकरी ने भी संसद में कहा था कि 60 किलोमीटर के अंदर दो टोल होंगे तो एक हटा दिया जाएगा।

पलसाना सहकारी समिति का राईसेम प्रशिक्षण के दौरान करवाया गया अवलोकन

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

जयपुर। राजस्थान सहकारी शिक्षा एवं प्रबंध संस्थान जयपुर द्वारा प्रदेश की ग्राम सेवा सहकारी समितियों में कार्यरत व्यवस्थापकों का समय-समय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा हैं, जिसमें व्यवस्थापकों को सहकारी समितियों में नवाचार को लेकर प्रशिक्षण देने के साथ-साथ प्रेरणादायक सहकारी समितियों का अवलोकन भी करवाया जा रहा हैं, हाल ही में राईसेम द्वारा आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रम में शामिल हुए व्यवस्थापकों को सीकर जिले की आदर्श ग्राम सेवा सहकारी समिति पलसाना का अवलोकन व्यवस्थापक रिछपालसिंह एवं सेवानिवृत व्यवस्थापक महादेवसिंह ऐचरा द्वारा प्रशिक्षण कार्यक्रम संयोजक सारिका गुप्ता एवं पूजा चतुर्वेदी, सहायक रजिस्ट्रार राइसेम के निर्देशन में करवाकर, पलसाना सहकारी समिति द्वारा की जा रही व्यवसायिक गतिविधियां जिसमें समिति बाजार, सीएससी सेवाएं, सरस पार्लर, फसल खरीद जैसी अनेक सेवाओं सहित अल्पकालीन फसली सहकारी ऋण पद्धती के साथ सुपर मार्केट, ग्रामीण हाट लाईब्रेरी, जिम, कस्टम हायरिंग सेंटर, गौण मंडी साथ समिति मे गेस्ट हाउस का बारिकी से निरीक्षण करवाया गया, जो प्रेरणादायक एवं उत्साह से भरपूर रहा, इसके अलावा तीन बड़ी व्यावसायिक बैंकों का संचालन भी समिति भवन में किराये पर किया जा रहा है, इसकी भी जानकारी प्रशिक्षण दल की दी गई, इस दौरान जालोर जिले की चैनपुरा समिति से वैणीदान चारण, जैसलमेर जिले से मेघराज, सरदारदान चारण व मयंक भाटिया के नेतृत्व में दल द्वारा समिति का अवलोकन किया गया।

प्रशिक्षण जयपुर में निरीक्षण सीकर में

राज्य में सहकारी समितियों की जब भी बात आती हैं, तो, प्रदेश की राजधानी जयपुर इसमें सबसे आगे हैं, चाहे, वो किसानों को अल्पकालीन फसली ऋण वितरण हो, चाहे वो, बजट घोषणा के अनुदानित गोदाम निर्माण, कस्टम हायरिंग हो या कोई अन्य घोषणा हो जयपुर केंद्रीय सहकारी बैंक हमेशा से ही इसमें आगे रहा हैं, लेकिन क्या करोड़ो का बजट जयपुर सीसीबी अंतर्गत सहकारी समितियों में व्यय करने के बाजवुद आज दिन तक जयपुर सीसीबी एक भी प्रेरणादायक सहकारी समिति का निर्माण नहीं करवा पाई हैं, इसलिए ही सहकारिता विभाग के आला अफसरों को भ्रमण, विजिट एवं व्यावसायिक गतिविधियां के लिए सीकर जिले की पलसाना सहकारी समिति ही नजर आ रही हैं,, जब भी भ्रमण, विजिट एवं व्यावसायिक गतिविधियां को लेकर अवलोकन की बात आएं तो, अधिकारी जयपुर से 100 किमी दूर सीकर जिले की पलसाना सहकारी समिति की ओर रुख कर देते हैं ।

सहकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई कोटा की बैठक संपन्न

मारवाड़ का मित्र नेटवर्क
Www.marwadkamitra.in

कोटा । राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ जिला इकाई कोटा की जिला स्तरीय बैठक कोटा जिला अध्यक्ष महावीर गुप्ता की अध्यक्षता में आनासागर धाम इटावा में आयोजित हुई, जिसमें कोटा संभाग उपाध्यक्ष रामचंद्र नागर ने भी भाग लिया, जिला प्रवक्ता हिमांशु जैन ने बताया कि इटावा में आयोजित बैठक के दौरान सर्वसम्मति से निर्णय लिया गया कि राज्य के सहकारिता मंत्री का आने वाले समय में कोटा संभाग की ओर से स्वागत एवं सत्कार समोराह का आयोजन किया जाएगा, इसके लिए सहकारिता मंत्री से मिलकर समय लेने का निर्णय लिया गया, साथ ही, राजस्थान सहकारी कर्मचारी संघ के प्रदेश अध्यक्ष नंदलाल वैष्णव के प्रदेश स्तरीय नेतृत्व में संगठन ने कार्य करने का निर्णय लिया हैं,

इसके अलावा केंद्रीय सहकारी बैंक को ग्राम सेवा सहकारी समितियों की वाजिब मांगों के संबंध में ज्ञापन सौंपा जाएगा, जिसमें राज्य सरकार के निर्देशानुसार समिति के एस.टी. ऋण खाते से ब्याज राशि लेने, एफआईजी पोर्टल के माध्यम से ही किसानों का सत्यापन किए जाने, समिति सदस्यों की हिस्सा राशि, जो पोर्टल द्वारा काटी जाती है उसे एसबी खाते में समायोजित करने सहित समिति सदस्य को वापस लौटाई जाने वाली हिस्सा राशि को पोर्टल पर से भी हटाए जाने, वही, स्क्रीनिंग से शेष रहे कर्मचारियों की जल्द स्क्रीनिंग करवाने, ग्राम सेवा सहकारी समितियों को राज्य सरकार व केंद्र सरकार के द्वारा अल्पकालीन फसली ऋण व्यवसाय के एवज में मिलने वाले ब्याज अनुदान का भुगतान समयबद्ध किए जाने पर बैठक में चर्चा हुई, ताकि सहकारी समितियों में असंतुलन की स्थिती उत्पन्न नहीं हो पाएं, इस दौरान जिला पदाधिकारी सहित जिलेभर के 100 से अधिक पैक्स-लैम्पस कर्मचारी मौजूद रहें ।

जिला स्तरीय बैठक में हुई चर्चा

- सहकारिता मंत्री का आगामी समय में कोटा संभाग स्तर पर किया जाएगा स्वागत
- प्रदेशस्तर पर नंदलाल वैष्णव के नेतृत्व में कार्य करने लिया निर्णय
- वाजिब मांगों को लेकर सीसीबी को ज्ञापन देने पर हुई चर्चा

स्वत्वाधिकारी, स्वामी, प्रकाशक, संपादक एवं मुद्रक प्रकाश वैष्णव द्वारा वैष्णव कंप्यूटर्स प्रिन्टर्स, वैष्णव फार्म परावा 343041 जिला-सांचौर (राज.) से मुद्रित एवं सुभाष नगर सांचौर से प्रकाशित । संपादक । मो. 9602473302 । नोट : पीआरबी एक्ट के तहत खबर चयन के लिए उत्तरदायी । (तमाम विवादों का न्याय क्षेत्र सांचौर (राज.) होगा)

समाचार संकलन में यद्यपि पूर्ण विश्वसनीयता बरती जाती है तथापि तकनीकी त्रुटियां व अन्य किसी कारणवश समाचार प्रकाशन में त्रुटि होना संभावित है। इस प्रकार की त्रुटि के लिए प्रबन्धन पाक्षिक "मारवाड़ का मित्र" किसी भी प्रकार से जिमेदार नहीं होगा । समाचार पत्र के प्रकाशन की तिथि से एक माह के भीतर ही प्राप्त होने वाली प्रकाशन संबंधी शिकायत/आपत्ती पर विचार होगा एक माह बाद शिकायत आपत्ती पूर्णतया अस्वीकार अमान्य होगी। इस समाचार पत्र से संबंधित समस्त वाद-विवादों का न्यायिक क्षेत्र सांचौर (राज.) रहेगा ।